

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,

सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

वित्त (व०आ०-साठनि०) अनुभाग-७

देहरादून: दिनांक ०२ अप्रैल, 2018

विषय: उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग-१ (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन) का प्रख्यापन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग-१, जो U0P0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा-86 के अधीन राज्य में लागू है एवं वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0 562/XXVII(7)/2010 दिनांक 24.05.2010 द्वारा प्रख्यापित वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन, (2010) के कतिपय प्रावधानों में परस्पर विरोधाभास उत्पन्न होने तथा वर्तमान में विभिन्न वस्तुओं के मूल्यों में हुई वृद्धि के फलस्वरूप पूर्व निर्धारित दरों के प्रासंगिक न रह जाने के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त लिए गए निर्णयानुसार राज्य में लागू उत्तर प्रदेश वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग-१ (राज्य में यथाप्रवृत्त) एवं उक्त शासनादेश दिनांक 24.05.2010 द्वारा प्रख्यापित वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन (2010) को अतिक्रमित करते हुए श्री राज्यपाल उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग-१ (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन, 2018) का प्रख्यापन करते हुए इसमें उल्लिखित वित्तीय अधिकार उनके समक्ष अंकित अधिकारियों को प्रतिनिहित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-१ (राज्य में यथाप्रवृत्त) एवं वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन (2010) के अनुलग्नक में पूर्व में प्रदत्त प्राधिकार तदनुसार संशोधित/निरस्त समझे जायेंगे।

3. किसी प्राधिकारी को प्रतिनिहित किए गए वित्तीय अधिकार वित्त विभाग की विशिष्ट स्वीकृति के बिना उस प्राधिकारी द्वारा किसी अधीनस्थ प्राधिकारी को पुनः प्रतिनिहित नहीं किए जायेंगे।

4. उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग-१ (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन, 2018) में प्रतिनिहित अधिकार तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्या: ६। /XXVII(7)36/2017 तददिनांकित।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड।
3. समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त प्रमुख सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
6. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. महानिबन्धक, मा० उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
8. प्रमुख स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
9. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
10. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग।
11. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
12. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
13. निदेशक, विभागीय लेखा, उत्तराखण्ड।
14. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
15. समस्त वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड।
16. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग-१ की 500 प्रतिया पुस्तिका के रूप में तैयार कर यथाशीघ्र वित्त अनुभाग-७, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
17. निदेशक, आई०टी०डी०ए० को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त वित्तीय हस्तपुस्तिका को राज्य की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
18. निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून।
19. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अमित सिंह नेगी)

सचिव।

उत्तराखण्ड

वित्तीय हस्त पुस्तिका

खण्ड—1

(वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन)

(वर्ष 2018)



वित्तीय हस्त पुस्तिका

खण्ड-1

विषय सूची

भाग-1 शासन के वित्तीय अधिकार

	पृष्ठ
अध्याय 1. परिभाषायें	3
अध्याय 2. अधिकार का न्यायगमन	4
अध्याय 3. अधिकारों का प्रतिनिधायन	4
खण्ड- I	4
खण्ड- II व खण्ड- III	5
खण्ड- IV व खण्ड- V	6
खण्ड- VI व खण्ड- VII	7
खण्ड- VIII खण्ड- IX व खण्ड- X	8
अध्याय 4. विभागाध्यक्षों की सूची	9

भाग-2

अधीनस्थ प्राधिकारियों को प्रतिनिहित वित्तीय अधिकार

विवरण पत्रों की सूची-

	पृष्ठ
1. आकस्मिक और अन्य प्रकीर्ण व्यय	11
2. भूमि, भवन और किराया	19
3. निर्माण कार्य सम्बन्धी व्यय	27
4. ठेके और टेण्डर	34
5. भण्डार (स्टोर्स) तथा अन्य चल सम्पत्ति	36
6. राजस्व में छूट अथवा परित्यजन	43
7. हानियों को बट्टे खाते डालना	45
8. विविध वित्तीय अधिकार	51

भाग-1
शासन के वित्तीय अधिकार
अध्याय-1
परिभाषायें

- 1.1 जब तक कि विषय अथवा प्रसंग में कोई बात इसके प्रतिकूल न हो, इस नियम संग्रह में इस्तेमाल किये गये शब्द, जिस आशय में प्रयोग किये गये हैं, उनको यहां परिभाषित किया गया है।
- 1.2 “संविधान” से तात्पर्य भारत के संविधान से है।
- 1.3 “वित्त विभाग” से तात्पर्य उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग से है।
- 1.4 “राज्यपाल” से तात्पर्य उत्तराखण्ड के राज्यपाल से है।
- 1.5 “शासन” से तात्पर्य उत्तराखण्ड शासन से है।
- 1.6 “सरकारी सेवक” से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो राज्य सरकार की नियमित सेवा में मौलिक रूप से नियुक्त हों, जिनकी सेवा की शर्तें राज्यपाल द्वारा संविधान की सुसंगत धाराओं के अधीन निर्धारित की गयी हैं।
- 1.7 ‘विभागाध्यक्ष’ से तात्पर्य उस प्राधिकारी से है, जो शासन द्वारा इस रूप में विशेष रूप से घोषित किया गया हो (देखें परिशिष्ट-1)।
- 1.8 ‘कार्यालयाध्यक्ष’ से तात्पर्य कार्यालय के सर्वोच्च राजपत्रित अधिकारी से है।
- 1.9 ‘राज्य का राजस्व’ से संविधान के अनुच्छेद 266 का खण्ड 1 और वित्तीय नियम संग्रह के खण्ड 5, भाग-1 के अध्याय 2 और 3 में निर्दिष्ट ‘राज्य के समेकित निधि में प्राप्तियाँ’ अभिप्रेत है।
- 1.10 “राज्य” से तात्पर्य उत्तराखण्ड राज्य से है।

अध्याय-२

आधिकार का न्यायगमन

राज्य के कार्यकारी प्राधिकार

- 2.1 संविधान के अनुच्छेद 154 के अधीन राज्य के कार्यकारी प्राधिकार राज्यपाल में निहित हैं और उन अधिकारों का प्रयोग संविधान के अनुसार या तो सीधे राज्यपाल द्वारा अथवा उनके अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से किया जाता है।
- 2.2 जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 166 के खण्ड (1) में दिया हुआ है, शासन के समस्त कार्यकारी कार्य राज्यपाल के नाम से किये गये अभिव्यक्त किये जायेंगे और राज्यपाल के नाम से दिये गये समस्त आदेश और निष्पादित समस्त दस्तावेज उन नियमों के अनुसार प्रमाणित किये जायेंगे जो राज्यपाल द्वारा संविधान के अनुच्छेद 166 के खण्ड (2) के अधीन बनाये जायें।

अध्याय-३

अधिकारों का प्रतिनिधायन

खण्ड-।

सामान्य

- 3.1 शासन के अधिकार, संविधान के अनुच्छेद 154 के अंतर्गत और उसके उपबन्धों के अधीन रहते हुए शासन के अधीनस्थ किसी अधिकारी को उस सीमा तक और ऐसे प्रतिबन्धों के साथ, जिन्हें शासन लगाना आवश्यक समझे, अथवा जो संविधान या शासन के नियमों अथवा आदेशों या राज्य विधान मंडल के किसी अधिनियम के उपबन्धों द्वारा पहले से ही लगाये गये हों, प्रतिनिहित किये जा सकते हैं। वे शर्तें और प्रतिबन्ध, जिनके अधीन ऐसे अधिकार प्रतिनिहित किये जायें, प्रतिनिहित करने के आदेशों अथवा नियमों में निर्दिष्ट कर देने चाहिए।
- 3.2 प्रतिनिहित अधिकार का प्रयोग उपर्युक्त प्रस्तर 3.1 में उल्लिखित शर्तों और प्रतिबन्धों के अधीन और सामान्य नियमों तथा समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये गये विशेष निर्देशों के अनुपालन में किया जायेगा। सभी मामलों में, शासकीय धन का किसी प्रकार का व्यय करने से पूर्व अथवा उसका किसी भी प्रयोजन के लिए किसी भी व्यक्ति को भुगतान करने अथवा अग्रिम देने से पूर्व निम्नलिखित मूलभूत शर्तें अवश्य पूरी की जानी चाहिए, अर्थात् :
- (1) उक्त व्यय की वास्तव में जनहित में आवश्यकता हो।
 - (2) उक्त व्यय वास्तविक मांग से अधिक नहीं होना चाहिए।
 - (3) उक्त व्यय करने की अथवा धन का भुगतान करने अथवा अग्रिम देने की विशिष्ट स्वीकृति अथवा प्राधिकार हो,
 - (4) व्यय करने का अथवा भुगतान करने या अग्रिम देने का प्राधिकार अथवा उसकी स्वीकृति तब तक प्रयोग में नहीं लायी जायेगी, जब तक कि उस व्यय को पूरा करने के लिए अपेक्षित निधियां बजट मैनुअल में दिये हुए नियमों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनियोजित न कर ली गयी हों, और
 - (5) वित्तीय औद्योगिक वित्तीय नियमों में से (जो बजट मैनुअल में उद्धृत किये गये हैं) किसी का उल्लंघन न होता हो।
- टिप्पणी— ऐसे मामलों में जिनमें कोई विशिष्ट वित्तीय प्रतिनिधायन किसी अधिकारी को प्रतिनिहित किया गया हो, तो उसी विषय पर किया गया सामान्य वित्तीय प्रतिनिधायन, यदि कोई हो, लागू नहीं होगा।
- 3.3 वित्तीय नियम बनाने का अधिकार शासन के वित्त विभाग के अतिरिक्त किसी भी विभाग

को प्रतिनिहित नहीं किया जा सकता है।

- 3.4 वित्तीय अधिकार केवल वित्त विभाग की अनुमति से ही प्रतिनिहित किये जा सकते हैं।
3.5 किसी प्राधिकारी को प्रतिनिहित किये गये वित्तीय अधिकार, वित्त विभाग की विशिष्ट स्थीकृति के बिना उस प्राधिकारी द्वारा किसी अधीनस्थ प्राधिकारी को पुनः प्रतिनिहित नहीं किये जायेंगे।
3.6 प्रस्तर 3.1 के अधीन शासन द्वारा किये गये प्रतिनिधान इस अध्याय के अगले खण्डों में दिये गये हैं और उनका सविस्तार वर्णन इस नियम संग्रह के भाग-2 में दिये हुए विवरण पत्रों में किया गया है। किन्तु इस नियम संग्रह में सम्पूर्ण प्रतिनिधानों का उल्लेख नहीं है। वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-II, खण्ड-III, खण्ड-V, खण्ड-VI, एवं खण्ड-VII, बजट मैनुअल एवं अन्य विभागीय मैनुअलों में दिये हुए नियमों के अधीन किये गये प्रतिनिधान उन नियमों से सम्बन्धित संलग्न सूचियों में दिये हुए हैं। कतिपय वित्तीय अधिकारों के प्रतिनिधान वित्तीय नियम संग्रह के अन्य खण्डों के नियमों में भी दिये हुए हैं।
3.7 ऊपरिउलिखित प्रतिनिधानों के अलावा कोई अधीनस्थ प्राधिकारी उन सब मामलों में शासन के अधिकारों का प्रयोग कर सकता है, जिसमें कि उसे संविधान के उपबन्धों, उसके अधीन बने नियमों, संविधान के अधीन शासन द्वारा जारी किये गये आदेशों अथवा तत्समय प्रवृत्त विधान मण्डल द्वारा पारित अधिनियम अथवा किसी ऐसे अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा प्राधिकृत किया गया है।

तथापि इस पैरा के अधीन किसी अधीनस्थ प्राधिकारी को शासन की स्थीकृति के बिना ऐसा व्यय करने का अथवा ऐसा व्यय करने को प्राधिकृत करने का अधिकार नहीं प्राप्त होगा, जिसमें कि किसी नये सिद्धान्त, नीति अथवा प्रथा या 'नयी सेवा' पर, जैसा कि बजट मैनुअल में परिभाषित है, व्यय अन्तर्निहित हो।

खण्ड-II

आकस्मिक और अन्य प्रकीर्ण व्यय करने के अधिकार

- 3.8 आकस्मिक तथा अन्य प्रकीर्ण मामलों पर व्यय करने के सम्बन्ध में अधीनस्थ प्राधिकारियों को प्रतिनिहित किये अधिकार इस संग्रह के भाग-2 में दिये गये विवरण पत्र-1 में सूचीबद्ध किये गये हैं।
टिप्पणी — आकस्मिक और अन्य प्रकीर्ण व्यय के सम्बन्ध में आहरण-वितरण अधिकारियों को स्वीकृत अनुदान व्यय करने की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है, किन्तु शर्त यह है कि इस प्रयोजन के लिए निर्धारित धनराशि में वृद्धि न होने पाये और वह धनराशि केवल उन्हीं निर्धारित मदों पर व्यय की जाये जो कि आकस्मिक और अन्य प्रकीर्ण व्यय के नामें डाली जा सकती हो।

खण्ड-III

पदों का सृजन करने, वेतन की दर निर्धारित करने आदि के अधिकार

- 3.9 किसी अधीनस्थ प्राधिकारी को अस्थायी/स्थायी पदों का सृजन करने अथवा उन्हें समाप्त करने या किसी सेवा के स्थायी काडर में वृद्धि अथवा कमी करने का अधिकार नहीं है, और न उसे वेतन अथवा भत्तों की दरों में कमी-वृद्धि करने का अधिकार प्राप्त है। ऐसे मामलों पर प्रभाव डालने वाले सभी प्रस्तावों को शासन के आदेशों के लिए अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। वित्त विभाग की सहमति के बिना पदों का सृजन वेतन/भत्तों का उच्चीकरण नहीं किया जायेगा। पद सृजन के प्रस्ताव विस्तृत कार्य अध्ययन (workstudy) के आधार पर औचित्य के साथ दिये जायेंगे। जब नये पदों अथवा अतिरिक्त कर्मचारी वर्ग (अधिष्ठान) के लिए प्रस्ताव किये जायें तो बजट मैनुअल में दिये हुए नियमों का पूर्ण रूपेण पालन किया जाना चाहिए।
3.10(1) शासन द्वारा सृजित किये गये किसी अस्थायी पद का कार्यकाल शासन के सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग द्वारा वर्षानुवर्ष अधिकतम तीन वर्ष तक आगे बढ़ाया जा सकता है जब तक कि शासन के अन्यथा आदेश न हों, किन्तु शर्त यह है कि इस प्रयोजन के लिए

- आय व्ययक में निश्चियां उपलब्ध हों अथवा आय व्ययक पारित न होने की दशा में आवश्यक व्यवरण कराने के लिए कार्यवाही कर ली गयी हो।
- 3.10(2) अवधि, जिसके लिए कोई अस्थायी पद सृजित किया जाय, बारह महीने से अधिक न हो और किसी भी दशा में सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के फरवरी माह के अन्तिम दिवस से आगे न बढ़ायी जाय।
- 3.11(1) स्थायी/अस्थायी पदों के सृजन के आदेशों में ऐसे पदों का वेतनमान विनिर्दिष्ट किया जाय।
- 3.11(2) स्थायी/अस्थायी पद पर नियुक्त किये गये व्यक्ति का वेतन व वेतनमान, तदसम्बन्धी स्वीकृति के आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय।
- 3.11(3) तीन वर्ष से अधिक समय से रिक्त अस्थाई पद स्वतः समाप्त समझे जायेंगे। कार्य की वस्तुतः आवश्यकता के दृष्टिगत यदि उक्त पद पुनः पुनर्जीवित करने की आवश्यकता हो तो शासन के वित्त विभाग की अनुमति आवश्यक होगी।
- 3.11(4) ऐसे विशिष्ट कर्तव्यों को पूरा करने के लिये, जिसके लिये कोई स्थायी पद सृजित हो, कोई अस्थायी/निःसंवर्गीय पद सृजित नहीं किया जायेगा।
- 3.11(5) वित्त विभाग की सहमति से स्थाई प्रकृति के कार्यालयों हेतु सृजित अस्थाई पदों की निरन्तरता वर्षानुवर्ष सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग द्वारा बढ़ाई जा सकती है। प्रतिबन्ध यह है कि इस प्रयोजन हेतु आय-व्ययक में प्राविधान किया गया हो।
- 3.11(6) उन मामलों को छोड़कर जिनमें अधीनस्थ प्राधिकारियों को ऐसा करने के लिये शासन द्वारा विशिष्ट रूप से प्राधिकृत कर दिया गया हो। अधीनस्थ प्राधिकारियों द्वारा उनके नियंत्रण के अधीन सरकारी कर्मचारियों को, शासन की पूर्व स्वीकृति के बिना वेतन में नियमों से इतर कोई वृद्धि भर्ते, शुल्क अथवा मानदेय स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

खण्ड-IV

भूमि और भवन

- 3.12 उन दशाओं को छोड़कर, जो कि इस नियम संग्रह में दी गयी है अथवा शासन के किसी अन्य नियम या आदेशों में दी गयी हैं, ऐसे समस्त लेन-देन के लिए शासन की स्वीकृति अपेक्षित होगी, जिनसे कि संविधान के अनुच्छेद 294 से 296 और अनुच्छेद 298 और 299 के अधीन राज्य सरकार के प्रयोजनों के लिए उनकी निहित सम्पत्ति पर शासन के अधिकारों पर कोई प्रभाव पड़ता हो।
अतएव, भूमि के अधिग्रहण, विक्रय, हस्तान्तरण, विनियम, संक्रमण अथवा निःशुल्क दान या शासकीय भूमि पर पट्टे पर देना, अभ्यर्पित करना या अन्य अधिकार और रियायतें देने के समस्त प्रस्ताव स्वीकृति के लिए शासन को प्रस्तुत करना चाहिए। इसी प्रकार किसी भी शासकीय भवन की खरीद करने, निर्माण करने, विध्वंस करने, पहुंच पर देने या बिक्री करने और उस पर कोई व्यय करने के लिए शासन की स्वीकृति आवश्यक है। तथापि, कठिपय विशिष्ट मामलों में शासन ने इस सम्बन्ध में अपने अधिकार कठिपय अधीनस्थ प्राधिकारियों को प्रतिनिहित कर दिये हैं जिनका उल्लेख भाग-2 में दिये गये विवरण पत्र-2 में किया गया है।

खण्ड-V

निर्माण कार्य सम्बन्धी व्यय

- 3.13 उन प्रतिबन्धों के अधीन जिन्हें शासन पृथक-पृथक मामलों में लगाये अथवा जो शासन द्वारा लगाये गये हों, अनेक मामलों में निर्माण कार्यों पर व्यय करने से सम्बन्धित शासन के अधिकारों का प्रयोग अधीनस्थ प्राधिकारियों द्वारा किया जाता है जिनका उल्लेख भाग-2 में दिये गये विवरण पत्र-3 में किया गया है।
- 3.14 अनुमान तैयार करने तथा स्वीकृत करने, टेंडर मांगने, ठेके देने, निर्माण कार्यों का निष्पादन करने अथवा उसका पर्यवेक्षण करने, निर्माण कार्यों के लिए अपेक्षित सामग्री की खरीद करने और ऐसे समस्त लेन-देनों का समुचित रूप से अभिलेख रखने में पालन की

जाने वाली प्रक्रिया का निर्धारण करने वाले नियम, सार्वजनिक निर्माण तथा वन विभागों के निर्माण-कार्य के संबंध में वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड-6 और 7 में और अन्य विभागों के निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड-5, भाग-1 के अध्याय 13 एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 (समय-समय पर संशोधित क्रय नियमावली) तथा वैभागिक मैनुअलों में भी दिये गये हैं। इन नियमों में दी हुई प्रक्रिया का अधीनस्थ प्राधिकारियों द्वारा उनको प्रतिनिहित किये गये अधिकारों का प्रयोग करते समय सख्ती से पालन करना चाहिए।

- 3.15 अनुमान स्वीकृत करने, स्वीकृत अनुमानों में परिवर्तन करने, अधिक व्यय पास करने आदि के अधीनस्थ प्राधिकारियों के अधिकार, इस नियम संग्रह के भाग-2 के विवरण पत्र-3 में भी दिये गये हैं, और ऊपर पैरा 3.14 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उनका प्रयोग करना चाहिए।

खण्ड-VI

ठेके और टेप्डर

- 3.16 इस नियम संग्रह के संलग्न विवरण पत्र-4 में उल्लिखित अधीनस्थ प्राधिकारियों को निम्नलिखित पैरा 3.17 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, टेप्डर मांगने तथा उन्हें स्वीकार करने और कार्य के निष्पादन हेतु ठेके देने का अधिकार प्राप्त है। किंसी भी प्रकार का ठेका देते समय अधीनस्थ प्राधिकारियों को वित्तीय नियम संग्रह के खण्ड-6 के अध्याय 14 में तथा खण्ड-5, भाग-1 के परिशिष्ट 19 व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 (समय-समय पर यथा संशोधित) में दिये हुए सामान्य सिद्धान्तों का अनुपालन करना होगा।
- 3.17 संविधान के अनुच्छेद 299 के खण्ड (1) के अधीन, राज्य के कार्यकारी प्राधिकारी के प्रयोग में दिये गये समस्त ठेके, राज्यपाल द्वारा किये गये अभिव्यक्त किये जाने चाहिए, और उस प्राधिकार के प्रयोग में दिये गये समस्त ठेके और सम्पत्ति के हस्तान्तरण पत्र उन व्यक्तियों द्वारा और उस प्रकार से, जैसा कि वह निदेश या प्राधिकृत करे, राज्यपाल की ओर से निष्पादित किये जाने चाहिए। इस विषय में न्याय विभाग द्वारा अधिसूचनाएं जारी की जाती हैं।

खण्ड-VII

भण्डार (स्टोर्स) तथा अन्य चल सम्पत्ति

- 3.18 शासकीय भंडार (स्टोर्स), सामग्री (स्टाक), लेखन सामग्री तथा अन्य चल सम्पत्ति के अधिग्रहण, क्रय, हस्तान्तरण, विक्रय और निस्तारण सम्बन्धी समस्त लेन-देनों के लिए शासन की स्वीकृति अपेक्षित है, तथापि शासन ने इन मामलों के सम्बन्ध में अपने अधिकार कतिपय अधीनस्थ प्राधिकारियों को प्रतिनिहित कर दिये हैं। इस नियम संग्रह के भाग-2 के विवरण पत्र-5 में उन मामलों का उल्लेख किया गया है, जिनमें भण्डार (स्टोर्स) के खरीदने अथवा बेचने, शासन के विभागों, वैभागिक कार्यालयों के लिए अपेक्षित फर्नीचर तथा अन्य सज्जा का माप-क्रम निर्धारित करने आदि के अधिकार इस प्रकार प्रतिनिहित किये गये हैं। इस विवरण पत्र में विनिर्दिष्ट प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड-5, खण्ड-6 व खण्ड-7, मैनुअल आफ गवर्नमेन्ट आर्डर्स, भण्डार (स्टोर्स) क्रय नियमावली तथा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 (समय-समय पर संशोधित) तथा अन्य विभागीय विनियमों में दिये हुए सम्बन्धित नियमों के उपबन्धों के अनुसार किया जाना चाहिए।
- 3.19 फालतू अथवा निष्प्रयोज्य भण्डार (स्टोर्स) अथवा सामग्री (स्टाक) को उनके पुस्तक मूल्य अथवा ह्रासित मूल्य से कम कीमत पर बेचने के अधिकार में परिणामी हानि को बहु खाते लिखने का अधिकार समिलित नहीं है। ऐसे विक्रय में हुई हानियां किस सीमा तक अधीनस्थ प्राधिकारियों द्वारा बहु खाते लिखी जा सकती है, वह भाग-2 में विवरण पत्र-7 में विनिर्दिष्ट की गयी है।

खण्ड-VIII

राजस्व का परित्यजन

- 3.20 शासन के अधीनस्थ प्राधिकारियों द्वारा प्रयोग किये जाने वाले राजस्व के परित्यजन संबंधी शासकीय अधिकारों की सीमायें तथा परिस्थितियाँ इस नियम संग्रह के भाग-2 के विवरण पत्र-6 में विविर्दिष्ट की गयी है।
इन अधिकारों का प्रयोग, राजस्व के प्रत्येक वर्ग से संबंधित नियमों के उपबच्चों के अधीन तथा उनके अनुसार किया जायेगा।

खण्ड-IX

हानियों को बड़े खाते डालना

- 3.21 इस खण्ड में दिये हुए उपबच्चों को छोड़कर, किसी अधीनस्थ प्राधिकारी को भण्डार (स्टोर्स) के न वसूल होने योग्य मूल्य को अथवा किसी जालसाजी या किन्हीं व्यक्तियों की असावधानी या किन्हीं अन्य कारणों द्वारा हुई शासकीय धन की हानि को अन्ततः बड़े खाते में डालने का अधिकार नहीं है। भाग-2 के विवरण-पत्र-7 में उल्लिखित विशिष्ट मामलों में अधीनस्थ प्राधिकारियों को बड़े खाते में डालने के लिए प्राधिकृत किया गया है, किन्तु शर्त यह है कि—
(क) किसी एक मामले में बड़े खाते में डालने की धनराशि उस अधिकतम सीमा या सीमाओं से अधिक नहीं होगी, जो कि शासन द्वारा किसी नियम अथवा आदेश द्वारा प्रत्येक अधीनस्थ प्राधिकारी के लिए विविर्दिष्ट की जाये और
(ख) उस हानि से (1) किसी कार्यप्रणाली के ऐसे दोष का पता न चले जिसके संशोधन के लिए किसी उच्चतर प्राधिकारी के आदेश अपेक्षित हों, अथवा (2) किसी एक अधिकारी या अधिकारियों की गंभीर असावधानी का पता न लगे जिसके लिए किसी उच्चतर प्राधिकारी के आदेश प्राप्त कर सम्भवतः किसी अनुशासनिक कार्यवाही की आवश्यकता हो।
टिप्पणी— (1) ऊपर प्रयोग किये गये 'भण्डार (स्टोर्स) मूल्य' शब्दों का अर्थ, जहाँ मूल्य सम्बन्धी लेखा रखे जाते हैं, 'खाता मूल्य' के रूप में समझना चाहिए और अन्य मामलों में 'प्रतिरक्षापन मूल्य' समझना चाहिए।
(2) इस नियम के अधीन बड़े खाते में डालने की समस्त स्वीकृतियों की सूचना महालेखाकार को अनिवार्य रूप से देनी चाहिए, जो मामलों की परिनिरीक्षा करेगा और कार्यप्रणाली या नियमों के किसी ऐसे दोष की, जिसकी ओर शासन का ध्यान आकर्षित करना आवश्यक हो, सूचना शासन को देगा।
(3) ये नियम कोषागारों में हुई नकदी की हानियों पर लागू नहीं होते हैं, चाहे वे प्रेषण के दौरान में हुई हों अथवा कोषागार के शेष में से, छोटे सिक्कों में डिपो से अथवा करेन्सी तिजोरी में से हुई हों ऐसी हानियों में प्रत्येक मामले को शासन के आदेशों के लिए सूचित करना चाहिए।
- 3.22 जब कोई हानि बड़े खाते डालने के लिए किसी स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी को सूचित की जाये तो उस प्राधिकारी को वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड-5 के सम्बन्धित नियमों के संदर्भ में यह देखना चाहिए कि क्या सम्बन्धित अधीनस्थ प्राधिकारी ने विहित प्रक्रिया का पालन किया है और क्या उसने नियमों के अधीन अपेक्षित कार्यवाही की है।

खण्ड-X

विविध वित्तीय अधिकार

- 3.23 विविध अधिकारों से संबंधित वित्तीय प्रतिनिधायन, जो उपरोक्त वर्गीकरणों से आच्छादित नहीं हैं, इस नियम संग्रह के भाग-2 के संलग्न विवरण पत्र-8 में सम्मिलित है।

उन प्राधिकारियों की सूची जो विभागाध्यक्ष घोषित किये गये हैं :

1. अध्यक्ष, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उत्तराखण्ड।
2. अध्यक्ष, राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, उत्तराखण्ड।
3. अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तराखण्ड।
4. अध्यक्ष, न्यायाधिकरण सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड।
5. अध्यक्ष, लोक सेवा अधिकरण, उत्तराखण्ड।
6. अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड।
7. अध्यक्ष एवं सदस्य, प्रशासकीय प्राधिकरण, उत्तराखण्ड।
8. अध्यक्ष सतर्कता आयोग, उत्तराखण्ड।
9. अध्यक्ष, राज्य महिला आयोग, उत्तराखण्ड।
10. अध्यक्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, उत्तराखण्ड।
11. अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग, उत्तराखण्ड।
12. अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड।
13. कार्यपालक अध्यक्ष, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, उत्तराखण्ड।
14. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
15. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड।
16. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
17. सचिव, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड।
18. सचिव, अनु० जाति एवं जनजाति आयोग, उत्तराखण्ड।
19. मुख्य निवाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
20. महाधिवक्ता, मा० उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड।
21. महानिबन्धक, मा० उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड।
22. महाप्रशासक, मा० उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड।
23. मुख्य आयुक्त, उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग, उत्तराखण्ड।
24. मुख्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड सूचना आयोग।
25. आयुक्त, मनोरंजन कर, उत्तराखण्ड।
26. आयुक्त, निःशक्तजन, उत्तराखण्ड।
27. आयुक्त, राज्य निवाचन आयोग (पंचायत एवं स्थानीय निकाय), उत्तराखण्ड।
28. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड।
29. आयुक्त, आबकारी उत्तराखण्ड।
30. आयुक्त, गन्ना उत्तराखण्ड।
31. आयुक्त, खाद्य, उत्तराखण्ड।
32. आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड।
33. आयुक्त, परिवहन उत्तराखण्ड।
34. स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
35. राहत आयुक्त, उत्तराखण्ड।
36. श्रमायुक्त, उत्तराखण्ड।
37. मण्डलायुक्त, उत्तराखण्ड।
38. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।
39. महानिदेशक, प्रशासनिक अकादमी, उत्तराखण्ड।
40. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
41. महासमादेष्टा, होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, उत्तराखण्ड।
42. महानिरीक्षक, कारागार, उत्तराखण्ड।
43. पुलिस, महानिरीक्षक, गढ़वाल मण्डल/कुमाऊँ मण्डल।
44. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड।
45. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भेषज विकास इकाई, उत्तराखण्ड।
46. प्रमुख मुख्य वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
47. मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड।
48. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
49. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
50. प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
51. मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।

52. मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
 53. मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
 54. विद्युत निरीक्षक, विद्युत विभाग, उत्तराखण्ड।
 55. नियंत्रक, बाट एवं माप, खाद्य विभाग, उत्तराखण्ड।
 56. निवन्धक, सहकारी समितियाँ, उत्तराखण्ड।
 57. निदेशक, अभिलेखागार, उत्तराखण्ड।
 58. निदेशक, अल्पसंच्यक कल्याण, उत्तराखण्ड।
 59. निदेशक, नन्दा देवी बायोस्पिफर रिजर्व, उत्तराखण्ड।
 60. निदेशक, संस्कृत शिक्षा, उत्तराखण्ड।
 61. निदेशक, खेलकूद विभाग, उत्तराखण्ड।
 62. निदेशक, कृषि विभाग, उत्तराखण्ड।
 63. निदेशक, कोषागार, पैशान एवं हकदारी, उत्तराखण्ड।
 64. निदेशक, विभागीय लेखा, उत्तराखण्ड।
 65. निदेशक, कला एवं संस्कृति विभाग, उत्तराखण्ड।
 66. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उत्तराखण्ड।
 67. निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड।
 68. निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तराखण्ड।
 69. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तराखण्ड।
 70. निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।
 71. निदेशक, सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबन्ध संस्थान, उत्तराखण्ड।
 72. निदेशक, उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी, उत्तराखण्ड।
 73. निदेशक, अनुसूचित जनजाति कल्याण, उत्तराखण्ड।
 74. निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंकरण विभाग, उत्तराखण्ड।
 75. निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड।
 76. निदेशक, डेयरी विकास विभाग उत्तराखण्ड।
 77. निदेशक, जलागम प्रबन्ध परियोजना, उत्तराखण्ड।
 78. निदेशक, नागरिक उद्घडयन, उत्तराखण्ड।
 79. निदेशक, अभियोजन विभाग, उत्तराखण्ड।
 80. निदेशक, अर्थ एवं संख्या विभाग, उत्तराखण्ड।
 81. निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, उत्तराखण्ड।
 82. निदेशक, आई०सी०डी०एस०, उत्तराखण्ड।
 83. निदेशक, युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षा दल, उत्तराखण्ड।
 84. निदेशक, बजट राजकीय नियोजन एवं संसाधन, उत्तराखण्ड।
 85. निदेशक, मत्स्य विभाग, उत्तराखण्ड।
 86. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।
 87. निदेशक, विद्यालय शिक्षा, उत्तराखण्ड।
 88. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
 89. निदेशक, चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड।
 90. निदेशक, होम्यापैथिक, उत्तराखण्ड।
 91. निदेशक, पर्यटन, उत्तराखण्ड।
 92. निदेशक, पंचायत राज विभाग, उत्तराखण्ड।
 93. निदेशक, राष्ट्रीय कैडट कोर, उत्तराखण्ड।
 94. निदेशक, राज्य शिक्षा परिषद, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, उत्तराखण्ड।
 95. निदेशक, रेशम विभाग, उत्तराखण्ड।
 96. निदेशक, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड।
 97. निदेशक, सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड।
 98. निदेशक, सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास निदेशालय, उत्तराखण्ड।
 99. निदेशक, उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
 100. निदेशक, राज्य वित्त आयोग, निदेशालय।
 101. निदेशक, राष्ट्रीय बचत, उत्तराखण्ड।
 102. प्राचार्य, राजकीय भेड़िकल कॉलेज, उत्तराखण्ड।
 103. राजिस्ट्रार, फर्मर्स, सोसाइटी एवं विट्‌स, उत्तराखण्ड।
 104. राज्य सम्पादित अधिकारी, उत्तराखण्ड।
 105. राज्य सम्पादक, जिला गजेटियर्स।

भाग—2

अधीनस्थ प्राधिकारियों को प्रतिनिहित वित्तीय अधिकार

विवरण पत्र—1

आकस्मिक और अन्य प्रकीर्ण व्यय

क्रमसं.	अधिकार का प्रकार	किसके द्वारा प्रयोग किया जाएगा	परिसीमाएं	अनुबंध
1	2	3	4	5
1	(i) सामान्य व्यय के प्रत्येक मामले में यथा, लेखन सामग्री, गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद तथा कम्प्यूटर स्टेशनरी, कार्यालय व्यय आदि का क्रय।	1—प्रशासकीय विभाग	पूर्ण अधिकार	—
		2—विभागाध्यक्ष	पूर्ण अधिकार	—
		3—कार्यालयाध्यक्ष	सामग्री क्रय हेतु एक बार में रु0 2,50,000 (दो लाख पचास हजार) तक	—
		1—प्रशासकीय विभाग	पूर्ण अधिकार	शासन द्वारा समय समय पर निर्गत शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन।
		2—विभागाध्यक्ष	किसी एक कार्मिक/पेशनर के मामले में रु0 5,00,000 (पाँच लाख) की सीमा तक।	शासन द्वारा समय समय पर निर्गत शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन।
		3—कार्यालयाध्यक्ष	किसी एक कार्मिक/पेशनर के मामले में रु0 1,50,000 (एक लाख पचास हजार) की सीमा तक।	
(iii)	टेलीफोन संयोजन/मोबाईल / डेटा कार्ड/लीज लाईन/इंटरनेट/ वी—सेट।	1—प्रशासकीय विभाग	पूर्ण अधिकार।	—
		1—प्रशासकीय विभाग	पूर्ण अधिकार	—
		2—विभागाध्यक्ष	पूर्ण अधिकार	—
(iv)	नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत/कैन्टोनमेंट बोर्ड आदि निकायों के करों तथा बिजली, पानी व टेलीफोन के बिल सम्बन्धी व्यय का भुगतान स्थीकृत करना।	3—कार्यालयाध्यक्ष	पूर्ण अधिकार	—
		1—प्रशासकीय विभाग	पूर्ण अधिकार	प्रतिबंध यह कि वार्षिक अनुरक्षण अनुबंध मूल निर्माता (OEM) अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधि से किया जायेगा जिसकी दर क्रय मूल्य (करों को छोड़कर) की 8 प्रतिशत से अधिक होगी।
		2—विभागाध्यक्ष	पूर्ण अधिकार	
(v)	कम्प्यूटर उपकरण एवं उपस्कर, फोटोकॉपियर, वॉटर कूलर/प्लॉसीफायर /ए०सी० आदि उपकरणों का वार्षिक अनुरक्षण अनुबंध किया जाना।	3—कार्यालयाध्यक्ष	एक समय में रु0 15,000/- (पन्द्रह हजार) की सीमा के अंतर्गत तथा एक वर्ष में रु0 1,00,000 (एक लाख) लाख तक की सीमा तक।	
		1—प्रशासकीय विभाग	पूर्ण अधिकार	
		2—विभागाध्यक्ष	पूर्ण अधिकार	
(vi)	बीज, पौध, रसायन एवं उर्वरक का क्रय।	3—कार्यालयाध्यक्ष	बीज क्रय हेतु एक बार में रु0 30,000/- (तीस हजार) मूल्य तक	—



	(vii) औषधियों का क्रय।	1. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण 2. निदेशक, चिकित्सा शिक्षा	औषधि क्रय हेतु एक बार में ₹0 3.00 करोड़ (तीन करोड़) की सीमा तक।	शासनादेशों में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन तथा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के प्राविधानों के अनुसार।
	(viii) विभागीय विशिष्ट सामग्रियों का क्रय।	पुलिस महानिदेशक	सामग्री क्रय हेतु एक बार में ₹0 25,00,000 (पचास लाख) की सीमा तक।	उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार।
	(ix) विभाग के लिये सामान्य प्रकार के प्रासंगिक व्यय, जिसके लिए अन्यत्र कोई विशिष्ट प्रतिनिधायन नहीं किया गया हो, स्वीकृत करना।	1. प्रशासकीय विभाग 2. विभागाध्यक्ष 3. कार्यालयाध्यक्ष	पूर्ण अधिकार पूर्ण अधिकार आवर्तक—प्रत्येक मासले में 1,000 रुपये (एक हजार) तक अनावर्तक—प्रत्येक मासले में रुपये 10,000 (दस हजार) तक	उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार।
	(x) नीलामकर्ताओं को जहां उनकी सेवाएं लेना अनिवार्य समझा जाए, कमीशन का भुगतान स्वीकृत करना।	1—प्रशासकीय विभाग 2—विभागाध्यक्ष	पूर्ण अधिकार उनके द्वारा दिक्री की सकल धनराशि के 5 प्रतिशत की अनधिक दर तक, किन्तु नीलामकर्ता की नियुक्ति के सम्बन्ध में प्रशासकीय विभाग की अनुमति प्राप्त करनी होगी।	—
	(xi) परीक्षाओं से सम्बन्धित कार्यों के लिये निर्धारित दरों पर भुगतान।	कार्यालयाध्यक्ष	पूर्ण अधिकार	समय—समय पर शासन द्वारा निर्धारित दरों पर।
2.	(i) किसी शासकीय आयोजन/सेमीनार/मेलों और प्रदर्शनी के सम्बन्ध में ली गयी नावों, साइकिलों और स्थानों को किराये पर लेने तथा अन्य प्रकीर्ण व्यय करने की स्वीकृति देना।	1. गृह विभाग 2. विभागाध्यक्ष 3. पुलिस महानिरीक्षक	पूर्ण अधिकार एक वर्ष में रुपये 5,00,000 (पांच लाख) की सीमा तक बजट की उपलब्धता के अंतर्गत। एक वर्ष में रुपये 5,00,000 (पांच लाख) की सीमा तक बजट की उपलब्धता के अंतर्गत।	प्रत्येक आयोजन में रुपये 50,000 (पचास हजार) की सीमा तक इस शर्त के अधीन कि उक्त के सम्बन्ध में कोई विशिष्ट स्वीकृतियाँ अपेक्षित न हो। प्रत्येक आयोजन में रुपये 50,000 (पचास हजार) की सीमा तक इस शर्त के अधीन कि उक्त के सम्बन्ध में कोई विशिष्ट स्वीकृतियाँ अपेक्षित न हो।

		4. उप पुलिस महानिरीक्षक	एक वर्ष में रूपये 1,00,000 (एक लाख) की सीमा तक बजट की उपलब्धता के अंतर्गत।	प्रत्येक आयोजन में रूपये 25,000 (पच्चीस हजार) की सीमा तक इस शर्त के अधीन कि उक्त के सम्बन्ध में कोई विशिष्ट स्वीकृतियाँ अपेक्षित न हो।
		5. पुलिस अधीक्षक	एक वर्ष में रूपये 50,000 (पचास हजार) की सीमा तक बजट की उपलब्धता के अंतर्गत।	प्रत्येक आयोजन में रूपये 10,000 (दस हजार) की सीमा तक इस शर्त के अधीन कि उक्त के सम्बन्ध में कोई विशिष्ट स्वीकृतियाँ अपेक्षित न हो।
	(ii) पुलिस के कार्यों के लिये बसों अथवा परिवहन के अन्य विशेष साधनों का किराया स्वीकृत करना।	1. उप पुलिस महानिरीक्षक	पूर्ण अधिकार	आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि की सीमा तक।
3.	मेलों व प्रदर्शनियों के लिए व्यय स्वीकृत करना जिसमें परिवहन व्यय, अस्थाई कर्मचारियों का यात्रा भत्ता, आकस्मिक व्यय इत्यादि सम्भिलित है।	1-प्रशासकीय विभाग 2-विभागाध्यक्ष	पूर्ण अधिकार रु0 5,00,000 (रु0 पांच लाख) तक	उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार। उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार।
4.	1. पुलिस हिरासत में बन्द अभियुक्त व्यक्तियों के इलाज के लिये गैर-सरकारी चिकित्सकों को शुल्क का भुगतान स्वीकृत करना। 2. अधीनस्थ पुलिस के ऐसे किसी सदस्य की एक्स-रे परीक्षा/एम.आर.आई. और विशेषज्ञ विकित्सा, जिसे अपने सरकारी कर्तव्यों के निर्वहन में चोट लगी हो और पुलिस की ओर से किसी गैर सरकारी व्यक्ति की एक्स-रे/एम.आर.आई. चिकित्सा आवश्यक हो।	पुलिस अधीक्षक	प्रत्येक मामले में, जहाँ ऐसा व्यय रु0 1000 (एक हजार) से अधिक न हो। पुलिस अधीक्षक	भुगतान की स्वीकृति केवल तभी दी जानी चाहिए जब मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र दिया जाये कि एक्स-रे/एम.आर.आई परीक्षा अथवा मांगा गया शुल्क उचित है। भुगतान की स्वीकृति केवल तभी दी जानी चाहिए जब मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र दिया जाये कि एक्स-रे/एम.आर.आई परीक्षा अथवा मांगा गया शुल्क उचित है।

५

	3. कारागार में बन्दियों (सुरक्षा बन्दियों को छोड़कर) की ओर्खों अथवा दांतों की चिकित्सा के लिए डाक्टर की फीस, चश्मों तथा कृत्रिम दांतों आदि का क्य स्वीकृत करना।	कारागार महानिरीक्षक	पूर्ण अधिकार	<p>निम्नलिखित शर्तों के अधीन—</p> <ol style="list-style-type: none"> किसी एक मामले में शुल्क की धनराशि प्रति निरीक्षण उस धनराशि से अधिक न हो जो मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा उचित बतायी जाय। प्रत्येक मामले में आय-व्ययक में प्राविधानित सीमा तक। <p>टिप्पणी— एक अर्द्धवार्षिक विवरण पत्र, जिसमें उन मामलों के पूरे ब्यौरे दिये गये हों, जिनके लिए ऐसा व्यय स्वीकृत किया गया हो, शासन को प्रस्तुत करना चाहिए।</p>
5.	(1) भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप राष्ट्रपति, वरिष्ठ केन्द्रीय मंत्री, विदेशी अति महत्वपूर्ण व्यक्ति, मुख्यमंत्री के आगमन के समय सुरक्षा व्यवस्था पर व्यय स्वीकृत करना।	(क) पुलिस महानिदेशक	पूर्ण अधिकार	<p>व्यय केवल निम्नलिखित मद्दों पर किया जायेगा।</p> <ol style="list-style-type: none"> मंच और बल्लियाँ आदि बॉधकर बेरीकेड्स की व्यवस्था। परिवहन का किराया। पब्लिक एड्रेस सिस्टम। तम्बुओं, बिस्तरों और दरियों का किराया। फर्नीचर का किराया। विद्युत उपकरण लगाने तथा फिटिंग का किराया। अस्थायी टेलीफोन पर व्यय। पेट्रोल तथा मोबिल आयल पर व्यय। हैलीपेड का निर्माण। सभास्थल तथा आसपास के स्थान को समतल करने पर व्यय। गेस्ट पास/प्रवेश पास/ड्यूटी कार्ड/कार पार्किंग पास/अन्य आदेश पत्रों की छपाई पर व्यय। टेलीफोन को चालू रखने की व्यवस्था पर व्यय। भीड़ को रोकने के लिए रस्सों पर व्यय। एग्रोच मार्ग के निर्माण पर व्यय। सेफ हाउस के निर्माण पर होने वाला व्यय।


		(ख) पुलिस महानिरीक्षक	पुलिस लाख) की सीमा के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष 5,00,000 (पांच	
		(ग) पुलिस अधीक्षक	लाख) की सीमा के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष 2,00,000 (दो	
	(2) भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप राष्ट्रपति, वरिष्ठ केन्द्रीय मंत्री, विदेशी अति महत्वपूर्ण व्यक्ति एवं अन्य प्रदेशों के मुख्यमंत्री के उत्तराखण्ड के प्रत्येक दौरे के अवसर पर उनके तथा उनके दल के भोजनादि तथा ऐसी प्रकीर्ण मदें जिन पर व्यय का बहन पुलिस बजट से प्राधिकृत नहीं है, की व्यवस्था।	प्रोटोकाल विभाग / जिलाधिकारी	पूर्ण अधिकार	
6.	विशेष आकस्मिक व्यय की श्रेणी के अंतर्गत आने वाले व्यय, जब वे साम्प्रदायिक दंगों, मिलों में हड्डताल और इसी प्रकार के अन्य उपद्रवों के सम्बन्ध में किये गये हों, स्वीकृत करना।	पुलिस उप महानिरीक्षक	एक वर्ष में रुपये 50,000 (पचास हजार) की सीमा के अंतर्गत किन्तु किसी एक अवसर अर्थात् किसी एक दंगा या हड्डताल इत्यादि पर 10,000 रुपये (दस हजार) की सीमा तक बजट उपलब्धता के अंतर्गत।	-
7.	भ्रष्टाचार निवारण कार्यों के सम्बन्ध में विशेष आकस्मिक व्यय के रूप में व्यय करना।	उप महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निवारण विभाग	एक वर्ष में रुपये 50,000 (पचास हजार) की सीमा के अंतर्गत किन्तु किसी एक अवसर पर ₹ 5000/- (पांच हजार) की सीमा तक बजट उपलब्धता के अंतर्गत।	-
8.	बाढ़ और अन्य आपदाओं के सम्बन्ध में राहत व बचाव कार्यों हेतु सामग्री/व्यवस्थाएं यथा नाव, साइकिल और स्थान/तंबू आदि का किराया तथा अन्य प्रकीर्ण व्यय करने की स्वीकृति देना।	जिलाधिकारी	पूर्ण अधिकार	-
9.	जिला चुनाव अधिकारियों के लिए अपेक्षित फर्नीचर की वस्तुएं, साइकिलों और अन्य वस्तुओं/व्यवस्थाओं का किराया अथवा उनकी खरीद स्वीकृत करना।	जिला चुनाव अधिकारी	पूर्ण अधिकार	मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों, अनुमन्यता एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के अनुसार।
10.	विलम्ब (डैमरेज/वारफेज चार्जर्ज) पर व्यय स्वीकृत करना।	1. प्रशासकीय विभाग 2. विभागाध्यक्ष	पूर्ण अधिकार पूर्ण अधिकार	परन्तु 20,000 रुपये (बीस हजार) से अधिक के प्राप्त मामले में प्रशासकीय विभाग को सूचित करना होगा। परन्तु 10,000 रुपये (दस हजार) से अधिक के प्राप्त मामले में विभागाध्यक्ष को सूचित करना होगा।
		3. कार्यालयाध्यक्ष	पूर्ण अधिकार	

11.	शिलान्यास तथा उद्घाटन आदि जैसे अवसरों के सम्बन्ध में आकस्मिक व्यय स्वीकृत करना।	1. प्रशासकीय विभाग 2. विभागाध्यक्ष 3. कार्यालयाध्यक्ष	पूर्ण अधिकार पूर्ण अधिकार प्रत्येक अवसर पर ₹० 10,000 (दस हजार)	— — परन्तु 10,000 रुपये (दस हजार) से अधिक के मामले में विभागाध्यक्ष की अनुमति प्राप्त करनी होगी।
12.	प्रदेश में आतंकी/साम्प्रदायिक दंगों/ प्राकृतिक/दैवीय आपदा से पीड़ित ऐसे व्यक्तियों, जिनके जान-माल को गम्भीर हानि पहुँची है, पुनर्वासित करने हेतु, बजट प्राविधान के अन्तर्गत सहायतार्थ दी जाने वाली राहत की धनराशि, निम्न रूप में स्वीकृत करना— (1) प्रत्येक मृतक (चाहे वह परिवार का जीविकोपार्जन सदस्य रहा हो अथवा नहीं) के परिवार को। (2) स्थायी रूप से अपंग हो जाने की स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति को (चाहे वह परिवार का जीविकोपार्जन सदस्य रहा हो अथवा नहीं)। (3) अस्थायी रूप से अपंग हो गये प्रत्येक व्यक्ति को। (4) सांघातिक चोट के परिणाम स्वरूप घायल, व्यक्ति को जो उपर (3) में अपंग की परिभाषा में न आता हो। (5) चल सम्पत्ति की हानि की स्थिति में। (6) अचल सम्पत्ति को हुई क्षति की स्थिति में।	सचिव, गृह/आपदा	पूर्ण अधिकार	शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों के अनुसार।
13.	वर्कमेन्स कम्पेन्शन एकट के अधीन दिये गये मुआवजे का भुगतान स्वीकृत करना।	ऐसे समस्त विभागाध्यक्ष जो राजकीय निर्णयशालाओं, कार्यालयों इत्यादि के, जिन पर वर्कमेन्स कम्पेन्शन एकट लागू होता है, प्रभारी अधिकारी हैं।	पूर्ण अधिकार	तथापि मुआवजा का भुगतान सदैव मुआवजा अधिकार के माध्यम से किया जायेगा।
14.	भारत में चिकित्सा परीक्षण रामग्री खरीदना।	रसायनिक परीक्षक	पूर्ण अधिकार	—
15.	निरुद्ध व्यक्तियों अथवा सुरक्षा बंदियों के परिवारों अथवा आश्रितों को उनके निरुद्ध अथवा सुरक्षा बंदियोंके निरोध की अवधि में वित्त विभाग को पूर्व संदर्भ किये बिना भरण भत्ता (मैन्टेनेन्स एलाउन्स) स्वीकृत करना।	सचिवालय का गृह (कारागार) विभाग	पूर्ण अधिकार	—

16.	राज्य स्वामित्व वाले उपकरणों (स्टेट ओन्ड अन्डरटेकिंग) के कर्मचारियों के सम्बन्ध में, जिन पर इम्पालाइज स्टेट इंश्योरेन्स एण्ड इम्पलाइज प्राविडेन्ट फण्ड एक लागू होते हैं, किन्तु जो इन अधिनियमों के उपबन्धों से मुक्त नहीं किये गये हैं, कर्मचारियों को अंशदान और प्रशासकीय व्यय स्वीकृत करना।	राज्य स्वामित्व वाले उपकरणों के प्रभारी अधिकारी	पूर्ण अधिकार	
17.	पुलिस कार्मिकों की सुविधाओं हेतु गैर सरकारी व्यक्तियों, निकायों संस्थाओं द्वारा दिये गये धन को ग्रहण करने और इस प्रयोजन हेतु उसके बराबर (अथवा कम) धनराशि व्यय करने की स्वीकृति देना।	सचिवालय का गृह (पुलिस) विभाग	पूर्ण अधिकार	इस शर्त के साथ कि गैर सरकारी पक्षों द्वारा जमा की गयी धनराशि के बराबर प्राविधान आय-व्ययक में किया गया हो।
18.	भारत सरकार/सेना द्वारा संचालित विभिन्न प्रशिक्षण संस्थाओं में, चाहे वे राज्य के अन्दर हो अथवा बाहर, किन्तु भारत के अन्दर हो, के मानकित शर्तों (स्टैण्डर्ड टम्स) अनुसार अराजपत्रित कार्मिकों का प्रशिक्षण स्वीकृत करना।	प्रशासकीय विभाग	पूर्ण अधिकार	
19.	शजरा और खसरा के लिये अनुमान स्वीकृत करना।	1- अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग। 2-अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग।	पूर्ण अधिकार। रु0 5,000 (रु0 पांच हजार) की सीमा तक।	
20.	अधीनस्थ कर्मचारियों को वर्दी तथा गर्म कपड़ों की सप्लाई स्वीकृत करना।	विभागाध्यक्ष कार्यालयाध्यक्ष	पूर्ण अधिकार पूर्ण अधिकार	शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरें एवं मानकों के अधीन

पुस्तकें, समाचार-पत्र, पत्रिकाएं, नक्शे तथा अन्य प्रकाशन

21.	अपने कार्यालयों अथवा उनके अधीनस्थ कार्यालयों के प्रयोग के लिए पुस्तकें, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, नक्शे एवं अन्य प्रकाशन का क्रय।	1- प्रशासनिक विभाग।	पूर्ण अधिकार	
		2-विभागाध्यक्ष	पूर्ण अधिकार	
		3-कार्यालयाध्यक्ष	एक वर्ष में रु0 15000 (रु0 पन्द्रह हजार) तक (गैर तकनीकी पत्रिकाओं को छोड़कर)	



22	शिक्षण/प्रशिक्षण संस्थाओं के उपयोगार्थ व उनके पुस्तकालयों हेतु कक्षा शिक्षण पुस्तकों और सन्दर्भ पुस्तकों खरीदना			
(क) सन्दर्भ पुस्तकों (ख) अन्य प्रकाशन	उच्च शिक्षा महाविद्यालयों/मेडिकल कॉलेज/इंजीनियरिंग कालेज के प्राचार्य/समस्त राजकीय शिक्षण/प्रशिक्षण संस्थाओं के प्रधानाचार्य/ प्रधानाध्यापक	पूर्ण अधिकार	एक बार में रु0 20,000 (रु0 बीस हजार) से अधिक मूल्य की पुस्तकों के क्रय हेतु एक्सपर्ट कमेटी की संस्तुति ली जानी अनिवार्य होगी। विभागीय आवश्यकता एवं मानक के अधीन।	

विज्ञापन व्यय

23	(क) विज्ञापन के लिए व्यय स्वीकृत करना। (ख) निर्माण कार्यों/अधिप्राप्ति कार्यों विषयक सूचना प्रकाशित कराने के लिए निविदा सूचना स्थानीय पत्रों में देने हेतु।	विभागाध्यक्ष	पूर्ण अधिकार	विज्ञापन प्रकाशित किये जाने के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों के अधीन।
24.	निजी मुद्रणालयों से पंजीयत/अपंजीयत प्रपत्रों व अन्य आवश्यक कार्यों जैसे (नवशो, नोटिस आदि) का मुद्रण कराना।	1. प्रशासकीय विभाग। 2. विभागाध्यक्ष। 3. कार्यालयाध्यक्ष।	पूर्ण अधिकार	उक्त अधिकार का प्रयोग विक्रय प्रपत्रों के सम्बन्ध में नहीं किया जाएगा। अन्य प्रपत्रों के सम्बन्ध में केवल अपारिहार्य परिस्थितियों एवं न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किया जाएगा।
25.	सामान्य निर्वाचन (जनरल इलेक्शन्स), द्विवर्षीय निर्वाचन और उप निर्वाचन तथा मतदाता सूचियों के वार्षिक संशोधन से सम्बन्धित प्रपत्र तथा अन्य निर्वाचन सामग्री स्थानीय रूप से मुद्रण स्वीकृत कराना।	मुख्य निर्वाचन अधिकारी	पूर्ण अधिकार	किन्तु शर्त यह है कि- 1. निदेशक, मुद्रण तथा लेखन समाग्री प्रपत्रों को तथा अन्य सामग्री को छापने की स्थिति में न हो। 2. निविदा आमन्त्रित की गयी हो।

अभियंत्रण विभागों के निर्माण कार्य सम्बन्धी विज्ञापन

26.	रु0 75,00,000/- (रु0 पचहत्तर लाख) तक के निर्माण कार्यों के अल्पकालीन सूचना प्रकाशित कराने के लिये निविदा सूचना समाचार पत्रों में देने हेतु।	प्रभागीय अधिकारी/अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण निर्माण विभाग, लघु सिंचाई।	किसी एक मामले में रु0 20000 (रु0 बीस हजार) की सीमा तक, किन्तु शर्त यह है कि इस प्रकार छपाया गया कार्य आवश्यक हो।	-
-----	---	---	--	---

नोट :- प्रचलित अधिप्राप्ति नियमावली एवं बजट मैनुअल के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाना होगा। व्यय हेतु बजट आवंटन उपलब्ध होना आवश्यक है।

विवरण पत्र-2
भूमि, भवन और किराया

क्र.सं.	अधिकार का प्रकार	किसके द्वारा प्रयोग किया जाएगा	परिसीमायें	अम्युक्ति
1	2	3	4	5
1	राज्य की निधियों से निर्मित उनके नियंत्रण के अधीन (आवासिक भवनों और डाक बंगलों को छोड़कर) भवनों का विक्रय अथवा विध्वंस स्वीकृत करना।	1- प्रशासकीय विभाग 2- विभागाध्यक्ष	पूर्ण अधिकार। रु0 10,00,000 (रु0 दस लाख) खाते मूल्य तक	भवनों का बाजार मूल्य पर विक्रय (भूमि को सम्मिलित करते हुए) किया जायेगा। भूमि का मूल्य जिलाधिकारी तथा भवन का मूल्य लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित किया जाएगा। भवनों का बाजार मूल्य पर विक्रय (भूमि को सम्मिलित करते हुए) किया जायेगा। भूमि का मूल्य जिलाधिकारी तथा भवन का मूल्य लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित किया जाएगा।
2	अनावासिक प्रयोजनों हेतु किराये पर लिये गये भवनों का किराया स्वीकृत करना। (गोदामों को छोड़कर)	विभागाध्यक्ष	पूर्ण अधिकार	<p>निम्नलिखित शर्तों के अधीन :-</p> <p>1- रेन्ट कन्ट्रोल एक्ट के अधीन निर्धारित अथवा स्थानीय नगरपालिका द्वारा निर्धारित किराये से जैसी भी स्थिति हो, किराया अधिक न हो। जहां इस प्रकार का भवन किराये पर उपलब्ध नहीं हो, वहां किराया उस किराये से अधिक नहीं होना चाहिए जिसे जिलाधिकारी द्वारा उचित प्रमाणित किया गया हो और सम्बन्धित स्थानीय निकाय को सूचित किया गया हो।</p> <p>2- जहां भवन कार्यालय के उपयोगार्थ लिया जा रहा हो, वित्त (सी) विभाग के शासनादेश संख्या—सी—2299 / दस—एंच—639—61, दिनांक 8 जून, 1965 में निर्धारित मानक नमूनों का यथेष्ठ ध्यान रखा जाना चाहिए और अन्य मामलों में जगह औचित्यपूर्ण आवश्यकताओं में अधिक नहीं होना चाहिए।</p> <p>टिप्पणी—1. सरकारी कार्यालय के लिए प्राइवेट भवन किराये पर लेने के लिए निम्न प्रक्रिया अपनाई जाएगी।</p> <ul style="list-style-type: none"> i. कार्यालय हेतु कार्मिकों की संख्या के आधार पर निर्धारित मानक पर स्थान (Accommodation) की आवश्यकता का आकलन पहले कर लिया जाये। ii. सरकारी कार्यालय हेतु भवन किराये पर लेने के लिए स्थल चयन में उन इलाकों को वरीयता दी जाय जो कॉस्ट इफेक्टिव (Cost Effective) एवं मितव्ययी हो। यह प्रयास किया जाय कि नगर के व्यावसायिक केंद्रों (Commercial Hubs) जहां पर किराये की दरें अधिक होती हैं वहां पर भवन किराये पर लिये जाने से बचा जाये। उक्त स्थानों पर सरकारी कार्यालय हेतु भवन किराये पर तभी लिये जायें जब इसका पर्याप्त आधार एवं औचित्य हो। iii. ऐसे भवन जो रेन्ट कन्ट्रोल एक्ट की परिधि से बाहर हैं, को किराये पर लेने के

क्र.सं.	अधिकार का प्रकार	किसके द्वारा प्रयोग किया जाएगा	परिसीमाएं	अन्युक्ति
1	2	3	4	5
				<p>लिए विभाग द्वारा स्थानीय रूप से अधिक पढ़े जाने वाले दो प्रमुख एवं लोकप्रिय दैनिक समाचार पत्रों में कार्यालय प्रयोजन हेतु भवन की आवश्यकता का पूर्ण एवं स्पष्ट विज्ञापन किराया जाय।</p> <p>iv- विभाग तीन अधिकारियों की एक कमेटी गठित करेगा, जो विज्ञापन के फलस्वरूप प्राप्त आवेदनों पर विचार करके एवं उपलब्ध भवनों का निरीक्षण करके उपयुक्त भवन का चयन करेगी। कमेटी द्वारा चयनित भवन के लिए जिलाधिकारी से किराये के औचित्य का प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया जायेगा। इसके दृष्टिगत सक्षम अधिकारी द्वारा भवन का किराया औचित्य के आधार पर कमेटी की संस्तुति पर प्रतिनिधायन की सीमा में स्वीकृत किया जा सकेगा।</p> <p>-जिलाधिकारी द्वारा भवन किराया का औचित्य प्रमाण पत्र मुख्यतः भवन की लोकेशन, भवन की स्थिति, मुख्य मार्ग से भवन की दूरी, कार पार्किंग व भवन का कारपेट एरिया के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए।</p> <p>टिप्पणी— कारपेट एरिया का तात्पर्य भवन के फ्लोर एरिया से है, जिसमें किचन, बाथरूप, बरामदा, मोटर गैरेज, गैलरी तथा पैसस के एरिया फ्लोर एरिया में शामिल हैं, परन्तु किचन, बाथरूप, बरामदा, मोटर गैरेज, गैलरी तथा पैसस व फ्लोर का एरिया कुल कारपेट एरिया के 25% से अधिक न हो।</p> <p>जिलाधिकारी द्वारा मकान किराया का औचित्य प्रमाण—पत्र निर्गत किये जाने के पूर्व यह भी अवश्य देखा जाए कि किराये पर लिये जाने वाले भवन के आसपास रजिस्टर्ड लीज पर विभिन्न संस्थाओं द्वारा जो भवन किराये पर लिये गये हैं उनमें किराये की क्या स्थिति है। चूंकि राज्य सरकार के कार्यालयों हेतु लिये जाने वाले किराये के भवन के लिए राज्य सरकार एक सिक्योर्ड एन्टीटी है तथा इसमें भवन स्वामी का किराये का एवं अन्य कोई जोखिम निहित नहीं होता है, अतः इस फैक्टर को भी दृष्टिगत रखते हुए किराये पर लिये जाने वाले भवनों का किराया औचित्य प्रमाण—पत्र निर्गत किया जाए।</p> <p>3. किराये का औचित्य प्रमाण पत्र जिलाधिकारी स्वयं अपने हस्ताक्षर से जारी करेंगे। तहसीलदार या रेन्ट कन्ट्रोल ऑफिसर</p>

✓

क्र.सं.	अधिकार का प्रकार	किसके द्वारा प्रयोग किया जाएगा	परिसीमायें	अन्युकृति
1	2	3	4	5
				<p>तथा किसी भी अन्य अधिकारी द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र इस निमित्त भान्य नहीं होगा। टाउन एरिया/नोडिफाईड एरिया/ग्रामीण क्षेत्रों में किराये की दर की अनुमोदन जिलाधिकारी का होगा, परन्तु किराया का औचित्य प्रमाण—पत्र जारी करने के लिए परगनाधिकारी अधिकृत होंगे।</p> <p>टिप्पणी—2 सरकारी कार्यालयों के लिए किराये पर लिये गये जो भवन रेन्ट कन्ट्रोल एक्ट के अंतर्गत आ गये हैं उन भवनों के किराये में वृद्धि के संबंध में निम्न प्रक्रिया अपनायी जाएगी—</p> <p>सरकारी कार्यालयों के लिए किराये पर लिये गये जो भवन 'उ0प्र0 शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियम) अधिनियम, 1972' के प्राविधानों के अंतर्गत आ गये हैं, यदि उनका किराया बढ़ाने की मांग मकान मालिक द्वारा की जाती है तो उसे इसके लिए उक्त अधिनियम की धारा—21(8) के प्राविधानों का पालन करना होगा, जिसके अनुसार किसी भवन की स्थिति में जिला अधिकारी मकान मालिक के आवेदन पर उसके लिए देय मासिक किराया उतनी धनराशि तक बढ़ा सकता है जो किरायेदार के अधीन भवन के बाजार मूल्य के 10 प्रतिशत के बारहवें भाग के बराबर होगा और इस प्रकार बढ़ाया गया किराया आवेदन पत्र के दिनांक के ठीक बाद पड़ने वाले किरायेदारी के मास के प्रारम्भ से देय होगा, किन्तु अग्रेतर वृद्धि करने के लिए इस प्रसार का आवेदन पत्र वृद्धि के अंतिम आदेश के दिनांक से 5 वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात ही दिया जा सकेगा। यदि उभयपक्षों के बीच किसी निर्धारित अवधि तक किराया न बढ़ाने की शर्त तय हो चुकी हों तो उस अवधि तक किराये की वृद्धि संभव नहीं होगी।</p>
3	पट्टे पर ली जाने वाली भूमि के किराया स्वीकृत करना।	1—प्रशासकीय विभाग	पूर्ण अधिकार	वित्तीय नियम संग्रह खण्ड—5 भाग—1 के परिशिष्ट 10 में दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए पूर्ण पारदर्शिता से। (शासनादेश संख्या—ए—2—930 / दस—84—14(30) / 73, दिनांक : 28 फरवरी, 1984)
4.	गैर—आवासिक भवनों की जिनकी सरकारी प्रयोग के लिए आवश्यकता न हो, किराये पर देना।	1— प्रशासकीय विभाग	पूर्ण अधिकार	वित्त विभाग एवं न्याय विभाग के परामर्श से कार्यवाही की जायेगी।

क्र.सं.	अधिकार का प्रकार	किसके द्वारा प्रयोग किया जाएगा	परिसीमायें	अन्युकृति
1	2	3	4	5
5.	भवनों के निर्माण के लिये चुने गये स्थानों पर स्थित हरे या सूखे वृक्षों को सार्वजनिक नीलामी द्वारा काटने की स्वीकृति प्रदान करना।	1—अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।	पूर्ण अधिकार इस प्रतिबंध के साथ कि वन तथा उद्यान विभागों से आवश्यक अनापत्ति प्राप्त कर ली गई हो।	वन संरक्षण अधिनियम तथा अन्य सुसंगत अधिनियमों के प्रावधानों को ध्यान में रखा जाय।
		2—अधिशासी अभियन्ता (सिविल), लोक निर्माण विभाग, अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, लघु सिंचाई विभाग, ग्रामीण निर्माण विभाग	रु0 25,000 (रु0 पच्चीस हजार) तक। इस प्रतिबंध के साथ कि वन तथा उद्यान विभाग से अनापत्ति प्राप्त कर ली गई हो।	वन संरक्षण अधिनियम तथा अन्य सुसंगत अधिनियमों के प्रावधानों को ध्यान में रखा जाय।
6.	गोदामों का किराया।	1—प्रशासकीय विभाग	पूर्ण अधिकार	वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड-5 भाग-1 के परिशिष्ट 10 के नियम 24 में दी हुई शर्तों के अधीन।
		2—विभागाध्यक्ष	प्रत्येक मासले में रु0 20,000 (रु0 बीस हजार) प्रतिमाह तक	<p>निम्नलिखित शर्तों के अधीन :—</p> <p>i. रेन्ट कन्ट्रोल एक्ट के अधीन निर्धारित अथवा स्थानीय नगरपालिका द्वारा निर्धारित किराये से जैसी भी स्थिति हो, किराया अधिक न हो। जहां इस प्रकार का गोदाम किराये पर उपलब्ध नहीं हो, वहां किराया उस किराये से अधिक नहीं होना चाहिए जिसे जिलाधिकारी द्वारा उचित प्रमाणित किया गया हो और सम्बन्धित स्थानीय निकाय को सूचित किया गया हो।</p> <p>टिप्पणी—1. गोदाम के लिए प्राइवेट भवन किराये पर लेने के लिए निम्न प्रक्रिया अपनाई जाएगी।</p> <p>i. गोदाम हेतु भवन किराये पर लेने के लिए स्थल चयन में उन इलाकों को वरीयता दी जाय जो कॉस्ट इफेक्टिव (Cost Effective) एवं मितव्ययी हो। यह प्रयास किया जाय कि नगर के व्यावसायिक केंद्रों (Commercial Hubs) जहां पर किराये की दरें अधिक होती हैं वहां पर गोदाम किराये पर लिये जाने से बचा जाये। उक्त स्थानों पर गोदाम किराये पर तभी लिये जायें जब इसका पर्याप्त आधार एवं औचित्य हो।</p> <p>ii. ऐसे गोदाम जो रेन्ट कन्ट्रोल एक्ट की परिधि से बाहर हैं, को किराये पर लेने के लिए विभाग द्वारा स्थानीय रूप से अधिक पढ़े जाने वाले दो प्रमुख एवं लोकप्रिय दैनिक समाचार पत्रों में कार्यालय प्रयोजन हेतु गोदाम की आवश्यकता का पूर्ण एवं स्पष्ट विज्ञापन कराया जाय।</p>

iii- विभाग तीन अधिकारियों की एक कमेटी गठित करेगा, जो विज्ञापन के फलस्वरूप प्राप्त आवेदनों पर विचार करके एवं उपलब्ध गोदामों का निरीक्षण करके उपयुक्त गोदाम का चयन करेगी। कमेटी द्वारा चयनित गोदामके लिए जिलाधिकारी से किराये के औचित्य का प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया जायेगा। इसके दृष्टिगत सक्षम अधिकारी द्वारा गोदाम का किराया औचित्य के आधार पर कमेटी की संस्तुति पर प्रतिनिधायन की सीमा में स्वीकृत किया जा सकेगा।

जिलाधिकारी द्वारा गोदाम किराया का औचित्य प्रमाण पत्र मुख्यतः गोदाम की लोकेशन, स्थिति, सड़क से गोदाम की दूरी आदि को देखते हुए निर्धारित किया जाना चाहिए। गोदाम किराया का औचित्य प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने के पूर्व यह भी अवश्य देखा जाए कि किराये पर लिये जाने वाले गोदाम के आसपास रजिस्टर्ड लीज पर विभिन्न संस्थाओं द्वारा जो गोदाम किराये पर लिये गये हैं उनमें किराये की क्या स्थिति है। चूंकि लिये जाने वाले किराये के गोदाम के लिए राज्य सरकार एक सिक्योर्ड एन्टीटी है तथा इसमें भवन स्वामी का किराये का एवं अन्य कोई जोखिम निहित नहीं होता है, अतः इस फैक्टर को भी दृष्टिगत रखते हुए किराये पर लिये जाने वाले गोदामों का किराया औचित्य प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाए।

2. किराये का औचित्य प्रमाण पत्र जिलाधिकारी स्वयं अपने हस्ताक्षर से जारी करेंगे। तहसीलदार या रेन्ट कन्ट्रोल अफिसर तथा किसी भी अन्य अधिकारी द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र इस निमित्त मान्य नहीं होगा। टाउन एसिया/नोटिफाईड एसिया/ग्रामीण क्षेत्रों में किराये की दर की अनुमोदन जिलाधिकारी का होगा, परन्तु किराया का औचित्य प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए परगनाधिकारी अधिकृत होंगे।
टिप्पणी-2 जो गोदाम रेन्ट कन्ट्रोल एकट के अंतर्गत आ गये हैं उन गोदामों के किराये में वृद्धि के संबंध में निम्न प्रक्रिया अपनायी जाएगी:-

			जो गोदाम 'उ0प्र0 शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा वेदखली का विनियम) अधिनियम, 1972' के प्राविधानों के अंतर्गत आ गये हैं, यदि उनका किराया बढ़ाने की मांग मकान मालिक द्वारा की जाती है तो उसे इसके लिए उक्त अधिनियम की धारा-21(8) के प्राविधानों का पालन करना होगा, जिसके अनुसार किसी भी भवन की स्थिति में जिला अधिकारी मकान मालिक के आवेदन पर उसके लिए देय मासिक किराया उतनी धनराशि तक बढ़ा सकता है जो किरायेदार के अधीन भवन के बाजार मूल्य के 10 प्रतिशत के बारहवें भाग के बराबर होगा और इस प्रकार बढ़ाया गया किराया आवेदन पत्र के दिनांक के ठीक बाद पड़ने वाले किरायेदारी के मास के प्रारम्भ से देय होगा, किन्तु अग्रेतर वृद्धि करने के लिए इस प्रसार का आवेदन पत्र वृद्धि के अंतिम आदेश के दिनांक से 5 वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात ही दिया जा सकेगा। यदि उभयपक्षों के बीच किसी निर्धारित अवधि तक किराया न बढ़ाने की शर्त तय हो चुकी हो तो उस अवधि तक किराये की वृद्धि सम्भव नहीं होगी।
3— कार्यालयाध्यक्ष	प्रत्येक मामले में रु0 5,000 (रु0 पांच हजार) प्रतिमाह तक	टाउन एरिया/नोटिफाइड एरिया एवं ग्रामीण क्षेत्रों में किराये की दर का अनुमोदन जिलाधिकारी का होगा परन्तु किराये का औचित्य प्रमाण पत्र जारी करने के लिए परगना अधिकारी अधिकृत होंगे।	

6.

7.	राजस्व के एक सेवा विभाग द्वारा दूसरे सेवा विभाग को भूमि हस्तान्तरित करना।	जिलाधिकारी	<p>पूर्ण अधिकार, निम्नलिखित शर्तों के अधीन—</p> <ol style="list-style-type: none"> भूमि का हस्तान्तरण बिना मूल्य लिए किया जायेगा। इन मामलों में भूमि के बाजार मूल्य की सीमा पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा। जिस परियोजना के लिए भूमि हस्तान्तरण किया जा रहा हो, वह एक अनुमोदित परियोजना हो, और उसके लिए आवश्यक प्राविधान किया जा चुका हो, तथा केवल उतनी ही भूमि हस्तान्तरण किया जाये जितनी कार्य विशेष के लिए आवश्यक हो। भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत न हो। यदि भूमि विभाग की “रक्षित वन भूमि” हो तो वह हस्तान्तरण के बाद भी “रक्षित वन भूमि” के हस्तान्तरण से सम्बन्धित ग्रामवासियों को कोई आपत्ति न हो और हस्तान्तरित भूमि के उपयोग करने में साथ में लगी हुई वन भूमि और वन सम्पदा को कोई हानि नहीं पहुंचाई जाये। वन विभाग दूसरे सेवा विभाग से हस्तान्तरित भूमि का कोई मूल्य नहीं लेगा लेकिन यदि उस भूमि पर पेड़ इत्यादि अन्य वन सम्पदा हो तो प्राप्तकर्ता विभाग द्वारा वन विभाग को उक्त वन सम्पदा का मूल्य भुगतान करना पड़ेगा। 	शा०सं० ए-२-७५/दस-७७-१४(४)/७४ दिनांक ०३ फरवरी, १९७७
----	---	------------	---	---

			<p>6. हस्तान्तरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग की जाये तो उसके लिए मूल विभाग में पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा और यदि भूमि की आवश्यकता न हो या तीन वर्षों तक हस्तान्तरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिए उपयोग में नहीं लायी जाती तो उसे मूल विभाग की वापस करना होगा।</p>	
--	--	--	--	--

नोट :— प्रचलित अधिप्राप्ति नियमावली एवं बजट भैनुअल के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाना होगा। व्यय हेतु बजट आवंटन उपलब्ध होना आवश्यक है।

81

विवरण पत्र-3
निर्माण कार्य सम्बन्धी व्यय

क्र.सं.	अधिकार का प्रकार	किसके द्वारा प्रयोग किया जाएगा	परिसीमाएँ	अस्युक्ति
				1 2 3 4 5
1	क- मूल निर्माण कार्यों के लिए परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करना।	1- प्रशासकीय विभाग 2- विभागाध्यक्ष (अभियंत्रण विभागों के अतिरिक्त)	<p>पूर्ण अधिकार</p> <p>1- धार्मिक तथा पुरातात्व संबंधी भवनों तथा विद्यमान आवासिक भवनों में सुधार तथा विशेष मरम्मतों के अनुमानों को अपवाद स्वरूप छोड़कर, किसी एक मामले में ₹ 10,00,000 (रु० दस लाख) तक, निम्नलिखित शर्तों के अधीन-</p> <p>(1) यह है कि आवासिक भवन शासन द्वारा स्वीकृत मानक डिजाइन के अनुसार निर्मित किये जायेंगे और यह कि निर्माण की लागत उनसे सम्बन्धित अनुज्ञय वित्तीय सीमाओं या समय-समय पर शासन द्वारा नियत की गई क्षेत्र सीमाओं से अधिक नहीं होगी और शर्त यह भी है कि निर्माण कार्य तब तक प्रारम्भ नहीं किया जाएगा जब तक कि शासन द्वारा उनके व्यय की स्वीकृति न प्रदान कर दी जाय।</p> <p>(2) आवासिक भवनों में बिजली लगाने का व्यय फन्डमेन्टल रूल्स/तत्सम्बन्धी विषयक शासनादेशों में दी हुई सीमा और उसमें फिटिंग्स की मात्रा सब्सिडियरी रूल्स के अनुसार होनी चाहिए।</p> <p>(3) अनुमान में स्थायी आवासिक तथा गैर आवासिक भवनों की संख्या उससे अधिक नहीं होनी चाहिए जो योजना के अनुरक्षण के लिये, जब वह पूरी हो जाय, अनुमोदित मापदण्ड के अनुसार विभिन्न वर्गों के कर्मचारी वर्ग की संख्या के लिये अनुमत्य हो।</p> <p>(4) ऐसे आवासिक भवन (स्थायी अथवा अरम्भायी दोनों प्रकार के) जिला मुख्यालयों पर नहीं बनाये जायेंगे जो लोक निर्माण विभाग की एक स्थलीय (पूल्ड) आवास योजना के अंतर्गत न आते हों।</p> <p>(5) डाक बंगले/रेस्ट हाउस का निर्माण करते समय न्यू डाक बंगलों से निकटता के सिद्धान्त को दूढ़ता से पालन किय जायेगा और उनके निर्माण कार्य के लिए शासन की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।</p> <p>(6) गाड़ियों के लिए (हल्की तथा भारी दोनों प्रकार की) व्यवस्था शासन द्वारा अनुमोदित संख्या (स्केल) के अनुसार की जायेगी और क्रय के लिये आदेश देने से पहले मुख्यमंत्री जी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी।</p>	<p>बजट मैनुअल के पैरा 15 (2) वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-VI के पैरा 316 देखें</p>

	<p>ख— वर्तमान आवासिक भवनों में सुधार के लिए अनुमानों की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करना।</p> <p>ग— मूल निर्माण कार्यों के लिए परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करना।</p>	<p>1—प्रशासकीय विभाग</p> <p>2—विभागाध्यक्ष (अभियंत्रण विभागों के अतिरिक्त)</p> <p>प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग/सिंचाई विभाग।</p> <p>मुख्य अभियन्ता लोक निर्माण विभाग/सिंचाई विभाग/ ग्रामीण निर्माण विभाग/ लघु सिंचाई विभाग</p> <p>अधीक्षण अभियन्ता लो० नि० विभाग/सिंचाई विभाग/ ग्रामीण निर्माण विभाग/लघु सिंचाई विभाग</p>	<p>आय—व्ययक प्राविधान के अंतर्गत पूर्ण आधिकार</p> <p>आय—व्यय प्राविधान के अंतर्गत प्रत्येक मामले में रु० 1,00,000 (रु० एक लाख) की सीमा तक।</p> <p>— उपर्युक्त—१ में उल्लिखित शर्तों तथा अपवादों के अधीन किसी एक मामले में रु० 7.00 करोड़ (रु० सात करोड़) तक।</p> <p>— उपर्युक्त—१ में उल्लिखित शर्तों तथा अपवादों के अधीन किसी एक मामले में रु० 5.00 करोड़ (रु० पांच करोड़) तक।</p> <p>— उपर्युक्त—१ में उल्लिखित शर्तों तथा अपवादों के अधीन किसी एक मामले में रु० 2.00 करोड़ (रु० दो करोड़) तक।</p>	<p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p>
2	<p>मूल निर्माण कार्य और विस्तार अथवा किसी उच्चतर सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति मूल सहायक निर्माण कार्यों के लिए सामान्य परियोजना संबंधी ब्यौरेवार अनुमानों की प्राविधिक स्वीकृति प्रदान करना।</p>	<p>1— मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग</p>	<p>1—निम्नलिखित मामलों में रु० 2.5 करोड़ (रु० दो करोड़ पचास लाख) की सीमा तक।</p> <p>(1) ऐसे नये अथवा वर्तमान जल—मार्गों के, जिनका जल—निस्तारण शीर्ष पर 1,000 क्यूसेक से अधिक हो, नदी नियंत्रण के शीर्ष कार्य सम्बन्धी निर्माण कार्य।</p> <p>(2) ऐसे वर्तमान जल—मार्गों के जिनका जल—निस्तारण शीर्ष पर 500 क्यूसेक से अधिक हो, निर्माण अथवा कार्य में परिवर्तन सम्बन्धी निर्माण कार्य।</p> <p>(3) ऐसे जल—मार्गों के निकट, जिनका जल—निस्तारण शीर्ष पर 1,000 क्यूसेक अथवा उससे अधिक हो, नई चिनाई सम्बन्धी निर्माण कार्य (masonry work) निर्माण कार्यों के परिवर्तन सम्बन्धी निर्माण कार्य।</p> <p>(4) किसी ऐसे जल—मार्ग के जिसका क्षेत्र एक से अधिक वृत्त में व्याप्त हो, लम्बकाट में परिवर्तन सम्बन्धी निर्माण कार्य।</p> <p>(5) ऐसी वर्तमान जलमार्ग प्रणालियों में परिवर्तित, जिनमें वर्तमान जल मार्गों की प्राधिकृत जल निस्तारण में वृद्धि होती हो अथवा ऐसे अतिरिक्त जल—मार्गों का निर्माण जिनसे नहर के प्राधिकृत जल—निस्तारण में वृद्धि करने की आवश्यकता हो।</p> <p>(6) किसी डाक बंगले, आवास अथवा कार्यालय से सम्बन्धित निर्माण कार्य जिसकी लागत रु० 10,000 (रु० दस हजार) से अधिक हो।</p>	<p>—</p>

			टिप्पणी :- मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता किसी ऐसी परियोजना को स्वीकृति करने के लिये सक्षम नहीं है, जो विस्तार के बिना अपूर्ण रहती हो, किन्तु जो विस्तार सहित होने पर उसकी स्वीकृति के अधिकार से बाहर हो जाती हो। उसी प्रकार वह अनुमानों को खण्डों में स्वीकृति नहीं करेगा, जिसके एक साथ होने पर उच्चतर प्राधिकारी की स्वीकृति अपेक्षित हो।	
		2- अधिशासी अभियन्ता सिंचाई विभाग	रु0 1 करोड़ (रु0 एक करोड़) की सीमा तक विभागीय मैनुअल में उल्लिखित शर्तों के अधीन।	
3.	निर्माण कार्यों के ब्यौरेवार अनुमानों/अनुपूरक अनुमानों/ पुनरीक्षित अनुमानों की प्राविधिक स्वीकृति प्रदान करना।	1- मुख्य अभियन्ता, लो०नि० विभाग/सिंचाई विभाग/ ग्रामीण निर्माण विभाग/लघु सिंचाई विभाग। 2- अधीक्षण अभियन्ता, (सिविल) लोक निर्माण विभाग/सिंचाई विभाग/ ग्रामीण निर्माण विभाग/ लघु सिंचाई विभाग। 3- अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक लो० नि०वि०, सिंचाई, लघु सिंचाई, ग्रामीण निर्माण विभाग। 4- अधिशासी अभियन्ता, (सिविल) व कार्य अधीक्षक, लो०नि० विभाग/सिंचाई विभाग /ग्रामीण निर्माण विभाग /लघु सिंचाई विभाग/ ग्रामीण निर्माण विभाग। 5- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक, लोक निर्माण, सिंचाई, लघु सिंचाई, ग्रामीण निर्माण विभाग।	1- पूर्ण अधिकार। 2- रु0 2.5 करोड़ (रु0 दो करोड़ पचास लाख) की सीमा तक। 3- रु0 40,00,000 (रु0 चालीस लाख) की सीमा तक। 4- रु0 1 करोड़ (रु0 एक करोड़) की सीमा तक। 5- रु0 8,00,000 (रु0 आठ लाख) की सीमा तक।	
4	स्वीकृत मूल आगणन में हुए व्याधिक्य की स्वीकृति प्रदान करना।	1- प्रशासकीय विभाग (लो०नि०वि०/सिंचाई /ग्रामीण निर्माण /लघु सिंचाई) 2- मुख्य अभियन्ता, लो०नि०वि०/सिंचाई/ ग्रामीण निर्माण/लघु सिंचाई विभाग। 3- अधीक्षण अभियन्ता,	15 प्रतिशत से अधिक। (वित्त विभाग की सहमति से) 7.5 प्रतिशत से 15 प्रतिशत की सीमा तक। 5 प्रतिशत से 7.5 प्रतिशत की सीमा तक।	बशर्ते मूल निर्माण कार्य इस प्रकार स्वीकृत किये जा रहे व्याधिक्य को जोड़ते हुए पूर्ण हो जाय। बशर्ते मूल निर्माण कार्य इस प्रकार स्वीकृत किये जा रहे व्याधिक्य को जोड़ते हुए पूर्ण हो जाय। बशर्ते मूल निर्माण कार्य

		<p>लो०नि०वि०/सिंचाई/ ग्रामीण निर्माण/लघु सिंचाई विभाग।</p> <p>4— अधिशासी अभियंता, (सिपिल) व कार्य अधीक्षक, लो०नि०वि० तथा अधिशासी अभियन्ता सिंचाई विभाग/ग्रामीण निर्माण विभाग/लघु सिंचाई विभाग।</p>	<p>इस प्रकार स्वीकृत किये जा रहे व्याधिक्य को जोड़ते हुए पूर्ण हो जाय।</p> <p>5 प्रतिशत की सीमा तक। निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृति का अधिकार:-</p> <p>1— व्याधिक्य अथवा अनुमानित वृद्धि केवल निर्माण सामग्री एवं श्रम के मूल्य से पूर्णतया संबंधित हो।</p> <p>2— व्याधिक्य के समायोजन के लिए बजट प्राविधान में बचत उपलब्ध हो।</p> <p>3— व्याधिक्य को केवल एक बार समायोजित करने का अधिकार होगा, और यदि उसके बाव भी व्याधिक्य होता है तो उसके लिये शासन के संशोधित वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।</p>
5	स्वयं उसके द्वारा अथवा उच्चतर प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत मूल अनुमान के ऊपर बढ़ती स्वीकृत करना।	<p>1— प्रशासकीय विभाग, लो०नि०वि०विभाग, सिंचाई/ ग्रामीण निर्माण/लघु सिंचाई विभाग।</p> <p>2— मुख्य अभियन्ता, लो०नि०/सिंचाई/ ग्रामीण निर्माण/लघु सिंचाई विभाग।</p> <p>3— अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण/सिंचाई/ ग्रामीण निर्माण/ लघु सिंचाई विभाग।</p> <p>4— अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण/सिंचाई/ ग्रामीण निर्माण/ लघु सिंचाई विभाग।</p>	<p>बशर्ते मूल निर्माण कार्य इस प्रकार स्वीकृत किये जा रहे व्याधिक्य को जोड़ते हुए पूर्ण हो जाय।</p> <p>15 प्रतिशत से अधिक। (वित्त विभाग की सहमति से)</p> <p>7.5 प्रतिशत से 15 प्रतिशत की सीमा तक।</p> <p>5 प्रतिशत से 7.5 प्रतिशत की सीमा तक।</p> <p>5 प्रतिशत की सीमा तक।</p> <p>उपर्युक्त अधिकार निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृति का अधिकार:-</p> <p>(1) स्वयं या उच्च अधिकारी द्वारा मूल स्वीकृति प्राक्कलन के ऊपर बढ़ती की स्वीकृति इस प्रतिबंध के साथ दी जा सकती कि कुल अधिकता की धनराशि प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति के उनके अधिकार की सीमा तक है।</p> <p>(2) किसी उच्चतर प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति पुनरीक्षित अनुमान की कोई बढ़ती धनराशि स्वीकृत करने का अधिकार अधीनस्थ प्राधिकारी को न होगा। जब बढ़ती निर्माण को ऐसी उन्नत अवस्था में स्थिति हो जिससे कि पुनरीक्षित अनुमान का प्रस्तुत करना प्रायोजन रहित हो जाता हो और बढ़ती का स्पष्टीकरण कार्य— समाप्ति सूचना में (वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड-6 के प्रस्तार-398 के अधीन) कर दिया गया हो, कार्य समाप्ति सूचना पारित करने के उसके अधिकार पुनरीक्षित अनुमान स्वीकृत करने के उसके अधिकारों</p>

			<p>के समरूप ही होंगे।</p> <p>टिप्पणी :- (1) अधीक्षण अभियन्ता स्वीकृत मूल निर्माण कार्यों और मरम्मत पर ₹० 5000/- (₹० पांच हजार) की सीमा के अंदर अधिक व्यय भी स्वीकृत अनुमान की कुल धनराशि पर विचार किये बिना पारित कर सकता है। (वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड-6 का प्रस्तर 398)</p> <p>(2) किसी अधीक्षण अभियन्ता या अधिशासी अभियन्ता को किसी उच्चतर अधिकारी द्वारा स्वीकृत पुनरीक्षित अनुमान से कोई भी अधिक धनराशि स्वीकृत करने का कोई अधिकार न होगा।</p>	
6	स्वीकृत अनुमानों में प्रासंगिक व्यय के लिये की गयी व्यवस्था को किसी ऐसे अतिरिक्त/नये कार्य या मरम्मत के व्यय को पूरा करने के लिए परिवर्तित करना जिसके लिये अनुमान में कोई व्यवस्था न की गयी हो।	<p>1—मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण/सिंचाई/ग्रामीण निर्माण/लघु सिंचाई विभाग।</p> <p>2—अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण/सिंचाई / ग्रामीण निर्माण/लघु सिंचाई विभाग।</p> <p>3—अधिशासी अभियन्ता (सिविल) व कार्य अधीक्षक, लोक निर्माण तथा अधिशासी अभियन्ता सिंचाई/ग्रामीण निर्माण/लघु सिंचाई विभाग।</p> <p>4—अधिशासी अभियन्ता, विद्युत/यांत्रिक, लोक निर्माण/सिंचाई /ग्रामीण निर्माण विभाग</p>	<p>1—पूर्ण अधिकार।</p> <p>2—₹० 2,00,000 (₹० दो लाख) की सीमा तक।</p> <p>3—₹० 1,00,000 (₹० एक लाख) की सीमा तक।</p> <p>4—₹० 25,000 ₹० पच्चीस हजार) की सीमा तक।</p>	
7	विशेष मरम्मतों— विशेष मरम्मतों के अनुमानों की प्राविधिक स्वीकृति प्रदान करना।	<p>1—अधीक्षण अभियन्ता लोक निर्माण/ ग्रामीण निर्माण/लघु सिंचाई/सिंचाई</p> <p>2—अधिशासी अभियन्ता (सिविल), व कार्य अधीक्षक, लोक निर्माण विभाग तथा अधिशासी अभियन्ता/ ग्रामीण निर्माण विभाग/लघु सिंचाई विभाग।</p>	<p>1—पूर्ण अधिकार</p> <p>टिप्पणी :- यदि ऐसे मरम्मत से मुख्य नहर अथवा शाखा, जहां कुल जलापूर्ति 1,000 क्यूंसेक से अधिक हो, की डिजाइन में परिवर्तन होता हो अथवा यदि ऐसी मरम्मत से किसी जलमार्ग की पूर्ण जलापूर्ति निकासी में वृद्धि होती हो, तो मुख्य अभियन्ता की पूर्व स्वीकृति के अधीन।</p> <p>2—प्रत्येक अनुमान के लिये ₹० 5,00,000 (₹० पांच लाख) तक आवासिक भवनों के मामलों को छोड़कर।</p>	<p>कार्यों को किसी भी परिस्थिति में टुकड़ों में विभाजित कर प्राविधिक स्वीकृति नहीं दी जायेगी।</p>

		3— अधिशासी अभियन्ता, अधिकारी) विभाग।	3— रु0 5,00,000 (रु0 पांच लाख) की सीमा तक सिवाय सम्मुख अंकित मामलों के जिनमें अधीक्षण अभियन्ता की स्वीकृति आवश्यक होगी :— 1— ऐसे निर्माण कार्यों अथवा मरम्मतों के लिए जिनमें 200 क्यूसेक से अधिक अथवा उससे कम जल ले जाने वाले जलमार्ग की डिजाइन में परिवर्तन होता हो, प्रभागीय अधिकारी द्वारा अनुमान स्वीकृत करने से पूर्व अधीक्षण अभियन्ता की प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जायेगी। 2— नहरों, उसकी उप शाखाओं में दरार पड़ने के कारण नष्ट हुई फसल के लिए रु0 5000 (रु0 पांच हजार) से अधिक का मुआवजा। 3— किसी ढाक बंगले, रहने के मकान अथवा कार्यालय की विशेष मरम्मत जो रु0 5000 (पांच हजार) से अधिक होती हो, अथवा उस भवन की डिजाइन में कोई परिवर्तन होता हो।	कार्यों को किसी भी परिस्थिति में टुकड़ों में विभाजित कर प्राविधिक स्वीकृति नहीं दी जायेगी।
8.	गैर आवासिक भवनों में विजली संबंधी निर्माण कार्य के लिए अनुमानों की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करना।	1— प्रशासकीय विभाग 2— मुख्य अभियन्ता, लो0नि0/सिंचाई/ ग्रामीण निर्माण/लघु सिंचाई विभाग। 3— अधीक्षण अभियन्ता, सिविल विद्युत/यांत्रिक लो0नि0वि0 तथा अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग/ग्रामीण निर्माण विभाग/लघु सिंचाई।	1— पूर्ण अधिकार। 2— रु0 10,00,000 (रु0 दस लाख) की सीमा तक। 3— रु0 5,00,000 (रु0 पांच लाख) की सीमा तक।	—
9.	भवनों के निर्माण के लिए अपेक्षित भूमि के प्राविधिक अनुमान स्वीकृत करना।	1— अधीक्षण अभियन्ता, लो0नि0 विभाग/सिंचाई विभाग/ ग्रामीण निर्माण विभाग/लघु सिंचाई। 2— अधिशासी अभियन्ता (सिविल) व कार्य अधीक्षक, लो0नि0 विभाग तथा अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग/लघु सिंचाई/ग्रामीण निर्माण विभाग	1— पूर्ण अधिकार। 2— रु0 5,00,000 (रु0 पांच लाख) की सीमा तक।	—
10.	सूखा सहायता कार्यों के लिए प्राविधिक अनुमान स्वीकृत करना।	1— मुख्य अभियन्ता, लो0नि0 विभाग/सिंचाई विभाग/ ग्रामीण निर्माण विभाग/लघु सिंचाई। 2— अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) लो0नि0 विभाग, अधीक्षण	1— पूर्ण अधिकार। 2— रु0 2.00 करोड़ (रु0 दो करोड़) की सीमा तक।	—

		अभियन्ता, सिंचाई विभाग / ग्रामीण निर्माण विभाग / लघु सिंचाई।		
		3— अधिशासी अभियन्ता (सिविल) व कार्य अधीक्षक, लो०नि० विभाग, सिंचाई विभाग / ग्रामीण निर्माण विभाग / लघु सिंचाई।	3— रु० 1.00 करोड़ (रु०१ एक करोड़) की सीमा तक।	
11.	निक्षेप कार्यों के निष्पादन की स्थीकृति प्रदान करना।	विभागाध्यक्ष, लो०नि० विभाग / सिंचाई विभाग / ग्रामीण निर्माण विभाग / लघु सिंचाई।	पूर्ण अधिकार।	
12.	दरों की अनुसूची ("शिड्यूल आफ रेट्स") अनुमोदित करना।	प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।	पूर्ण अधिकार।	शासनादेश / नियमों में विहित व्यवस्थानुसार।

नोट :— प्रचलित अधिप्राप्ति नियमावली एवं बजट मैनुअल के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाना होगा। व्यय हेतु बजट आवंटन उपलब्ध होना आवश्यक है।


विवरण पत्र-4

ठेके और टेप्डर

क्र.सं.	अधिकार का प्रकार	किसके द्वारा प्रयोग किया जाएगा	परिसीमायें	अन्युकृति
1	2	3	4	5
1	क) छोटे निर्माण कार्यों (पेटी वकरी) के निष्पादन	1-प्रशासकीय विभाग 2-विभागाध्यक्ष	पूर्ण अधिकार प्रत्येक मामले में रु0 5,00,000 (रु0 पांच लाख) तक।	किन्तु शर्त यह है कि अनुमान विभागाध्यक्ष द्वारा स्वीकृत कर दिये गये हों।
		3-कार्यालयाध्यक्ष	प्रत्येक मामले में रु0 1,50,000 (रु0 एक लाख पचास हजार) तक।	
		1- प्रशासकीय विभाग 2-विभागाध्यक्ष	पूर्ण अधिकार प्रत्येक मामले में रु0 10,00,000 (रु0 दस लाख) तक।	
2	ख) आउटसोर्सिंग से सफाई/सुरक्षा/माली आदि की व्यवस्था के लिये टेप्डर/ठेके स्वीकृत करना।	3-कार्यालयाध्यक्ष	प्रत्येक मामले में रु0 1,50,000 (रु0 एक लाख पचास हजार) तक।	किन्तु शर्त यह है कि क्रमांक-1 से 5 की दशा में अधिकार उस धनराशि तक सीमित होंगे जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत अनुमान की धनराशि और उसके साथ ऐसी बढ़ती जोड़कर होती हो, जिससे नियमों के अधीन स्वीकृत करने के लिए वे प्राधिकृत हों और क्रमांक 6 व 8 की दशा में टेप्डर की धनराशि स्वीकृत अनुमानों की धनराशि से अधिक न हो।
		1- मुख्य अभियन्ता, लो0नि0 विभाग/सिंचाई विभाग/ ग्रामीण निर्माण विभाग/लघु सिंचाई।	1- पूर्ण अधिकार।	
		2-(क) अधीक्षण अभियन्ता लो0नि0 विभाग/सिंचाई विभाग/ ग्रामीण निर्माण विभाग /लघु सिंचाई।	2- पूर्ण अधिकार परन्तु रु0 2.00 करोड़ (रु0 दो करोड़) से अधिक के कार्य में मुख्य अभियन्ता से अनुमोदन आवश्यक होगा।	
		2-(ख) अधीक्षण अभियन्ता विद्युत/यांत्रिक, लो0 निर्माण विभाग।	2- (ख) रु0 35,00,000 (रु0 पैंतीस लाख) की सीमा तक।	
		3- अधिशासी अभियन्ता (सिविल) व कार्य अधीक्षक, लो0नि0वि0, अधिशासी अभियन्ता/प्रभागीय अधिकारी, सिंचाई विभाग।	3- रु0 75,00,000 (रु0 पचहत्तर लाख) की सीमा तक।	
		4- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग	4- रु0 40,00,000 (रु0 चालीस लाख) की सीमा तक।	
	3- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत/यांत्रिक, लोक निर्माण विभाग/ ग्रामीण निर्माण विभाग।	5- रु0 5,00,000 (रु0 पांच लाख) की सीमा तक।	6- रु0 10,00,000 (रु0 दस लाख) की सीमा तक।	किन्तु शर्त यह है कि क्रमांक-1 से 5 की दशा में अधिकार उस धनराशि तक सीमित होंगे जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत अनुमान की धनराशि और उसके साथ ऐसी बढ़ती जोड़कर होती हो, जिससे नियमों के अधीन स्वीकृत करने के लिए वे प्राधिकृत हों और क्रमांक 6 व 8 की दशा में टेप्डर की धनराशि स्वीकृत अनुमानों की धनराशि से अधिक न हो।
		6- सहायक अभियन्ता, लो0नि0वि0/सिंचाई विभाग/ ग्रामीण निर्माण विभाग/लघु सिंचाई।	6- रु0 10,00,000 (रु0 दस लाख) की सीमा तक।	

क्र.सं.	अधिकार का प्रकार	किसके द्वारा प्रयोग किया जाएगा	परिसीमाएँ	आनुकूल
1	2	3	4	5
		7— मुख्य विद्युत निरीक्षक। 8— सहायक अभियन्ता, विद्युत/यांत्रिक।	7— ₹0 5,00,000 (₹0 पांच लाख) की सीमा तक। 8— ₹0 2,00,000 (₹0 दो लाख) की सीमा तक।	
3	मूल मरम्मतों और कार्य के समस्त मामलों में कार्य पूरा हो जाने पर ठेकेदारों को प्रतिभूति जमाओं की वापरसी स्थीकृत करना।	1— अधिशासी अभियन्ता व कार्य अधीक्षक, लो०नि०वि०, अधिशासी अभियन्ता/प्रभागीय अधिकारी, सिंचाई विभाग/ ग्रामीण निर्माण विभाग/ लघु सिंचाई। 2— उप प्रभागीय अधिकारी अथवा अनुभागों के प्रभारी/सहायक अभियन्ता।	1— पूर्ण अधिकार 2— ऐसे मामले में जहां कार्य की धनराशि, ठेके स्थीकार करने के उनके अधिकारों से अधिक न हो, वित्तीय नियमों के उपबन्धों के अधीन।	

नोट :- प्रचलित अधिप्राप्ति नियमावली एवं बजट मैनुअल के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाना होगा। व्यय हेतु बजट आवंटन उपलब्ध होना आवश्यक है।



विवरण पत्र-5
भण्डार (स्टोरी) तथा अन्य चल सम्पत्ति

क्र.सं	अधिकार का प्रकार	किसके द्वारा प्रयोग किया जाएगा	परिसीमायें	अन्युकृति
1	2	3	4	5
1	विभागीय कार्य हेतु उपकरण/संयंत्र एवं नई साज-सज्जा का क्रय।	1- प्रशासकीय विभाग 2- विभागाध्यक्ष	पूर्ण अधिकार इस प्रतिबंध के साथ कि किसी एक वस्तु का मूल्य रु0 2,00,000 लाख (रु0 दो लाख) से अधिक नहीं होगा तथा एक बार में रु0 10,00,000 (रु0 दस लाख) तक की सामग्री का क्रय किया जा सकता है।	उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार।
2.	विभागीय कार्य हेतु विशिष्ट उपकरण एवं संयंत्र का क्रय।	1- प्रशासकीय विभाग 2- विभागाध्यक्ष	पूर्ण अधिकार इस प्रतिबंध के साथ कि किसी एक वस्तु का मूल्य रु0 10,00,000 लाख (रु0 दस लाख) से अधिक नहीं होगा तथा एक बार में रु0 20,00,000 लाख (रु0 बीस लाख) तक की सामग्री का क्रय किया जा सकता है।	उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार।
		I पुलिस महानिदेशक II महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग III निदेशक, चिकित्सा शिक्षा	इस प्रतिबंध के साथ कि किसी एक वस्तु का मूल्य रु0 10,00,000 लाख (रु0 दस लाख) से अधिक नहीं होगा तथा एक बार में रु0 3.00 करोड़ (रु0 तीन करोड़) तक की सामग्री का क्रय किया जा सकता है। इस प्रतिबंध के साथ कि किसी एक वस्तु का मूल्य रु0 50,00,000 लाख (रु0 पचास लाख) से अधिक नहीं होगा तथा एक बार में रु0 3.00 करोड़ (रु0 तीन करोड़) तक की सामग्री का क्रय किया जा सकता है। इस प्रतिबंध के साथ कि किसी एक वस्तु का मूल्य रु0 50,00,000 लाख (रु0 पचास लाख) से अधिक नहीं होगा तथा एक बार में रु0 3.00 करोड़ (रु0 तीन करोड़) तक की सामग्री का क्रय किया जा सकता है।	

3	अभियंत्रण विभागों में औजारों और संयंत्र का क्रय और उनके लिये आवश्यक अनुमान तथा पुनरीक्षित अनुमान स्वीकृत करना।	1—प्रशासकीय विभाग 2—मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग/सिंचाई विभाग/लघु सिंचाई, ग्रामीण निर्माण विभाग	पूर्ण अधिकार इस प्रतिबंध के साथ किसी एक वस्तु का मूल्य रु० 25,00,000 लाख (रु० पच्चीस लाख) से अधिक नहीं होगा तथा एक बार में रु० 2.00 करोड़ (रु० दो करोड़) तक की सामग्री का क्रय किया जा सकता है।	उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार।
4	(क) छुलाई के लिए अनुमान स्वीकृत किया जाना।	1—विभागाध्यक्ष (अभियंत्रण विभाग को छोड़ते हुए) 2—अधीक्षण अभियन्ता सिविल/विठ०/यां०, लो०निठ०विठ० सिंचाई विभाग/लघु सिंचाई, ग्रामीण निर्माण विभाग	पूर्ण अधिकार। पूर्ण अधिकार।	— —
	(ख) औजारों और संयंत्र की मरम्मत के लिए अनुमान स्वीकृत किया जाना।	3—अधिशासी अभियन्ता सिविल/विठ०यां०, लो०निठ०विठ०, सिंचाई विभाग/लघु सिंचाई, ग्रामीण निर्माण विभाग	रु० 1,00,000/- (रु० एक लाख) की सीमा तक।	—
		1—विभागाध्यक्ष (अभियंत्रण व स्वास्थ्य विभाग को छोड़ते हुए) 2—महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग और प्राचार्य राजकीय मेडिकल कॉलेज	1—रु० 50,000/- (रु० पचास हजार) तक। 2—पूर्ण अधिकार	— —
		2—अधीक्षण अभियन्ता सिविल/विठ०/यां०, लो०निठ०विठ०, सिंचाई विभाग/लघु सिंचाई,	2—पूर्ण अधिकार	—

		ग्रामीण निर्माण विभाग		
		3— अधिशासी अभियन्ता सिविल, लो०निं०वि० सिंचाई विभाग/लघु सिंचाई, ग्रामीण निर्माण विभाग	3— रु० 15,000 (रु० पन्द्रह हजार) सहायक अभियन्ता (वि०/यां) की संस्तुति पर।	-
5	निधारित माप (स्केल) के अनुमार तम्बुओं की खरीद और उसके लिये आवश्यक अनुमान (पुनरीक्षित अनुमान सहित) स्वीकृत करना।	1— अधीक्षण अभियन्ता व कार्य अधीक्षक, सिविल/विद्युत/यांत्रिक, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग /ग्रामीण निर्माण विभाग/लघु सिंचाई। 2— अधिशासी अभियन्ता, सिविल विद्युत/यांत्रिक लो०निं०वि०, सिंचाई विभाग/लघु सिंचाई/ग्रामीण निर्माण विभाग।	1— पूर्ण अधिकार। 2— रु० 50,000 (रु० पचास हजार) की सीमा तक।	-
6.	स्वीकृत मात्रा से अधिक परिमाण में रेखण सर्वेक्षण (झाइंग सर्वेइंग) तथा गणितीय उपकरण (मैथमेटिकल इन्स्ट्रूमेन्ट्स) रखना।	1— मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, ग्रामीण निर्माण विभाग /लघु सिंचाई। 2— अधीक्षण अभियन्ता, सिविल, विद्युत, यांत्रिक, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, ग्रामीण निर्माण विभाग/लघु सिंचाई।	1— पूर्ण अधिकार। 2— पूर्ण अधिकार, इस प्रतिबंध के साथ कि इस सम्बन्ध में आवश्यक सूचना मुख्य अभियन्ता को भेजी जाय।	-
	निष्प्रयोज्य भण्डार और सामग्री का निस्तारण			
7	फालतू और निष्प्रयोज्य भण्डार का विक्रय रखीकृत करना। (अभियंत्रण विभागों को छोड़कर)	1—प्रशासकीय विभाग 2—विभागाध्यक्ष	पूर्ण अधिकार पूर्ण अधिकार	रु० 5,00,000 (रु० पांच लाख) से अधिक लागत की फालतू एवं निष्प्रयोज्य भण्डार के विक्रय के प्रस्तावों पर निर्णय लिये जाने हेतु प्रशासकीय विभाग के प्रमुख सचिव व सचिव की अध्यक्षता में एक परामर्शदात्री समिति का गठन किया जायेगा, जिसके सदस्य वित्त विभाग के प्रतिनिधि (जो संयुक्त सचिव के स्तर से नीचे के न हो) तथा संबंधित विभागाध्यक्ष होंगे। केवल अतिविशिष्ट तथा जटिल मामले ही वित्त विभाग को संदर्भित किये जायेंगे। —निष्प्रयोज्य समिति के अनुमोदन उपरान्त किन्तु जब भण्डार किसी प्राविधिक व औद्योगिक विद्यालय

				का हो तो विक्रय के लिए परामर्शदात्री समिति की स्वीकृति आवश्यक होगी।
		3-कार्यालयाध्यक्ष	रु0 5,00,000 (रु0 पांच लाख) से अधिक मूल मूल्य (Basic Price) तक	-इस प्रतिबंध केसाथ कि फालतू भण्डार का विक्रय 20 प्रतिशत से अधिक हासित मूल्य पर न किया जाय, परन्तु ऐसी सामग्री जो पूर्णतः नष्ट या किसी स्वरूप में पुनः प्रयोग नहीं की जा सकती हो, उसके हासित मूल्य को शून्य समझा जाय। -निष्प्रयोज्य समिति के अनुमोदन उपरान्त किन्तु जब भण्डार किसी प्राविधिक व औद्योगिक विद्यालय का हो तो विक्रय के लिए परामर्शदात्री समिति की स्वीकृति आवश्यक होगी।
8	(क) किसी भण्डार (सामग्री, औजार और संयंत्र स्थल पर वस्तुएं और विघटित किये गये निर्माण कार्यों से प्राप्त सामग्री सहित) को फालतू घोषित करना तथा सार्वजनिक नीलामी द्वारा उनका विक्रय स्वीकृत करना।	1- प्रशासकीय विभाग 2- मुख्य अभियन्ता/ अधीक्षण अभियन्ता/लोक निर्माण/सिंचाई विभाग/लघु सिंचाई/ग्रामीण निर्माण विभाग	पूर्ण अधिकार रु0 15,00,000 (रु0 पन्द्रह लाख) की पुस्तक मूल्य तक।	
	(ख) किसी भण्डार को (सामग्री, औजार और संयंत्र स्थल पर वस्तुएं और विघटित किये गये निर्माण कार्यों से प्राप्त सामग्री सहित) को निष्प्रयोज्य घोषित करना।	3- अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई/लघु सिंचाई ग्रामीण निर्माण विभाग 4- अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई/लघु सिंचाई ग्रामीण निर्माण विभाग	रु0 2,00,000 (रु0 दो लाख) की पुस्तक मूल्य तक। रु0 20,000 (रु0 बीस हजार) तक।	
		1- प्रशासकीय विभाग 2- प्रमुख/मुख्य अभियन्ता/लोक निर्माण विभाग/सिंचाई विभाग/ग्रामीण निर्माण विभाग/लघु सिंचाई	पूर्ण अधिकार रु0 15,00,000 (रु0 पन्द्रह लाख) की पुस्तक मूल्य तक।	
		3- अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग/सिंचाई/ ग्रामीण निर्माण विभाग /लघु सिंचाई विभाग 4- अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई/ ग्रामीण	रु0 1,50,000 (रु0 एक लाख पचास हजार) की पुस्तक मूल्य तक। रु0 20,000 (रु0 बीस हजार) के पुस्तक मूल्य तक।	

		निर्माण विभाग / लघु सिंचाई		
9	उपर्युक्त घोषित निष्प्रयोज्य भण्डार के सार्वजनिक नीलामी द्वारा दिक्रिय करना अथवा अन्य प्रकार से नष्ट किया जाना स्वीकृत करना।	1- प्रशासकीय विभाग 2- परिवहन आयुक्त 3- मुख्य अभियन्ता/ लोक निर्माण विभाग/ सिंचाई/ लघु सिंचाई/ ग्रामीण निर्माण विभाग 4- अधीक्षण अभियन्ता/ लोक निर्माण विभाग/ सिंचाई विभाग/ लघु सिंचाई/ ग्रामीण निर्माण विभाग	1- पूर्ण अधिकार 2- रु0 50,000 (रु0 पचास हजार) तक 3- रु0 15,00,000 (रुपये पच्चास हाथ) पुस्तक मूल्य तक। 4- रु0 1,50,000 (रु0 एक लाख पचास हजार) के पुस्तक मूल्य तक।	- - - अधीक्षण अभियन्ता द्वारा इस प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग उनकी अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति, जिसके सदस्य क्रमशः संबंधित अधिशासी अभियन्ता, जिले में तैनात वरिष्ठ सहायक अभियन्ता तथा जिले में तैनात वित्त/लेखा सेवा के अधिकारी होंगे के माध्यम से किया जाएगा। कृत कार्यवाही की सूचना अधीक्षण अभियन्ता के द्वारा एक सप्ताह के अंतर्गत मुख्य अभियन्ता तथा महालेखाकार, उत्तराखण्ड को दी जाएगी।
10	ऐसी सामग्री का (औजार और संयंत्र नहीं) जो न फालतू हो और न निष्प्रयोज्य हो, पूर्ण मूल्य/लागत (सामान्य पर्यवेक्षक शुल्क सहित) जमा कर अन्तर खण्डीय/ अंतर्विभागीय स्थानान्तरण करना।	5- अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग/ लघु सिंचाई/ ग्रामीण निर्माण विभाग, मुख्य विद्युत नियंत्रक।	5- विभाग को रु0 20,000 (रुपये बीस हजार) पुस्तक मूल्य तक।	- कृत कार्यवाही की सूचना अधीक्षण अभिशासी अभियन्ता के द्वारा एक सप्ताह के अंतर्गत अंतर्गत अधीक्षण अभियन्ता तथा महालेखाकार, उत्तराखण्ड को दी जाएगी।
11	सूचना और संचार तकनीकी उपकरणों का निस्तारण।	प्रशासकीय विभाग विभागाध्यक्ष	पूर्ण अधिकार पूर्ण अधिकार	- - सूचना एवं संचार तकनीकी घटकों के अनुपयोग और निस्तारण नीति, 2016 (समय-समय पर यथासंशोधित) के अनुसार। सूचना एवं संचार तकनीकी घटकों के अनुपयोग और निस्तारण नीति, 2016 (समय-समय पर यथासंशोधित) के अनुसार।

	कार्यालयाध्यक्ष	प्रत्येक वर्ष रु० 1,00,000/- (रु० एक लाख) मूल्य सीमा तक।	सूचना एवं संचार तकनीकी घटकों के अनुपयोग और निस्तारण नीति, 2016 (समय-समय पर यथासंशोधित) के अनुसार।
--	-----------------	--	--

4

विवरण पत्र-६
राजस्व में छूट अथवा परित्यजन

क्र.सं.	अधिकार का प्रकार	किसके द्वारा प्रयोग किया जाएगा	परिसीमायें	अन्युक्ति
1	2	3	4	5
1	<p>राजस्व में छूट देना अथवा वसूली छोड़ देना:-</p> <p>1. ऐसी धनराशियां जो विभागाध्यक्षों द्वारा वसूल न होने योग्य प्रमाणित की गयी हों,</p> <p>2. ऐसी धनराशियां जो वसूल न होने योग्य घोषित न हुई हों।</p>	<p>1- प्रशासकीय विभाग</p> <p>2- विभागाध्यक्ष</p> <p>1-प्रशासकीय विभाग</p> <p>2- विभागाध्यक्ष</p>	<p>प्रत्येक मामले में ₹० 10,000 (₹० दस हजार) तक।</p> <p>प्रत्येक मामले में ₹० 5,000 (₹० पांच हजार) तक।</p> <p>प्रत्येक मामले में ₹० 5,000 (₹० पांच हजार) तक।</p> <p>प्रत्येक मामले में ₹० 2,000 (₹० दो हजार) तक</p>	<p>—</p> <p>निम्नलिखित शर्तों के अधीन:-</p> <p>1. इस अधिकार का प्रयोग उन मामलों में नहीं किया जाएगा जिनमें कि ऐसी छूटें किसी अधिनियम या नियमावली अथवा पृथक अनुदेशों द्वारा नियंत्रित होती हों अथवा कोई विशेष प्रतिनिधायन मौजूद हो।</p> <p>2. जहां पर छूट देने के लिए कोई प्रक्रिया निर्धारित हो वहां उसका अनिवार्य रूप से पालन किया जाना चाहिए।</p> <p>3. उस मामले में प्रक्रिया के किसी दोष का पता न चलें।</p> <p>4. किसी सरकारी कर्मचारी की ओर से असावधानी न की गई हो जिसमें किसी उच्चतर प्राधिकारी के आदेश अपेक्षित हो।</p> <p>5. प्रत्येक मामले में वसूली की छूट के कारण अभिलिखित किये गये हों।</p>
2.	व्यापार कर/मूल्य वर्धित कर देयों की वसूली न होने वाली धनराशि को उसे वसूल करने के लिए हर संभव प्रयत्न करने के पश्चात संयुक्त जांच दल (Joint enquiry team) द्वारा आवश्यक जांच पड़ताल के पश्चात इस आशय का प्रमाण-पत्र दिये जाने पर कि देय वसूल नहीं की जा सकती, बढ़ते खाते में डालना।	1- प्रशासकीय विभाग	<p>₹० 2,50,000 (₹० दो लाख पचास हजार) से ऊपर परन्तु ₹० 10,00,000 (₹० दस लाख) से अनधिक।</p>	<p>प्रत्येक मामले संयुक्त जांच दल द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र से आयुक्त कर द्वारा संतुष्ट होने पर कि देय वसूल नहीं की जा सकती, वित्त विभाग की सहमति से</p> <p>टिप्पणी-अप्रतिलिप्य व्यापार कर बकाया के अपलेखन (Write-off) की स्वीकृति प्रदान करने वाले संबंधित अधिकारियों की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि वे यह सुनिश्चित कर लें की अपलेखन आदेश जारी किये जाने से पूर्व निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति कर ली गई है:-</p> <p>(1) छ: वर्ष से कम अवधि के बकाये के अपलेखन की आवश्यकता न्यूनतम होनी चाहिए। यदि विशेष परिस्थितियों में छ: वर्ष से कम अवधि के बकाये को अपलेखित किया जाता</p>

क्र.सं.	अधिकार का प्रकार	किसके द्वारा प्रयोग किया जाएगा	परिसीमाएं	अनुचित
1	2	3	4	5
				<p>है तो अपलेखन (Write-off) आदेश की एक प्रति शासन को भी सूचनार्थ भेज दी जाये।</p> <p>(2) प्रत्येक प्राधिकारी उनके द्वारा स्वीकृत किये गये अपलेखनों के सम्बन्ध में रजिस्टर रखेगा जिसमें अपलेखन के सम्बन्ध में दी गई स्वीकृतियों के सम्बन्ध में सभी आवश्यक तथ्य अंकित किये जायेंगे जो कि भविष्य में आवश्यकतानुसार देखे जा सकें।</p> <p>(3) अपलेखन आदेश जारी करने से पूर्व पूरी तरह से यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि वसूली की दिशा में हर सम्बन्ध कार्यवाही की जा चुकी है। जिसे मामले में बकायेदारों की संख्या एक से अधिक हो, उसमें सभी के विरुद्ध वसूली की प्रभावी कार्यवाही की जा चुकी है तथा बकायादार/ बकायादारों के चल/अचल सम्पत्तियों के सम्बन्ध में विस्तृत आख्या मामले की सम्बन्धित पत्रावली में उपलब्ध है।</p> <p>(4) वसूली के सिलसिले में संबंधित बकायादार/ बकायादारों को गिरफ्तार किया जा चुका है।</p> <p>(5) बकायादार/ बकायादारों से बकाया की वसूली के सिलसिले में विस्तृत जांच न केवल उनके व्यवसाय के स्थान पर वरन् उनके स्थायी अथवा अस्थायी निवासों की जगह पर भी की जा चुकी है।</p>
	2- आयुक्त कर	प्रत्येक मामले में रु0 2,50,000 (रु0 दो लाख पचास हजार) तक	रु0	संयुक्त जांच दल द्वारा दिये गये प्रमाण पत्र से अपर आयुक्त (वित्त) कार्यालय आयुक्ता कर के परामर्श से संतुष्ट होने पर कि देय वसूल नहीं की जा सकती।
3.	विकास के लिए वसूल न होने योग्य ऋण में छूट, धनराशि वसूल करने के लिए सभी संभव उपाय करने के बाद जिलाधिकारी के इस आशय के प्रमाण-पत्र पर स्वीकृत करना।	<p>1- प्रशासकीय विभाग</p> <p>2- मण्डलायुक्त</p>	<p>प्रत्येक मामले में रु0 5,000 (रु0 पांच हजार) तक तथा एक वित्तीय वर्ष में रु0 50,000 (रु0 पचास हजार) तक।</p> <p>प्रत्येक मामले में रु0 2,000 (रु0 दो हजार) तक तथा एक वित्तीय वर्ष में रु0 20,000 (रु0 बीस हजार) तक।</p>	—

क्र.सं.	अधिकार का प्रकार	किसके द्वारा प्रयोग किया जाएगा	परिसीमाये	अन्युक्ति
1	2	3	4	5
4.	मोटर्स व्हीकल टैक्सीशन एकट की सुसंगत धारा के अधीन देय वसूल न होने योग्य मोटर कर के बकाया की छूट स्वीकृत करना।	परिवहने आयुक्त	1. किसी वित्तीय वर्ष में रु0 10,000 (रु0 दस हजार) तक। 2. किसी एक मासले में रु0 1,000 (रु0 एक हजार) तक।	—

/ /

विवरण पत्र-7
हानियों को बट्टे खाते डालना

क्र.सं.	अधिकार का प्रकार	किसके द्वारा प्रयोग किया जाएगा	परिसीमाएं	अस्युक्ति
1	2	3	4	5
1	भण्डार या लोकधन की अवसूलनीय हानियां जिनके अंतर्गत पूर्णतः नष्ट हुये स्टाम्पों की हानि भी सम्मिलित है, को बट्टे खाते डालना।	1-प्रशासकीय विभाग	प्रत्येक मद में ₹0 20,000 (₹0 बीस हजार) से अधिक तथा ₹0 50,000 (₹0 पचास हजार) से अनधिक की सीमा तक, बशर्ते मदों के समूह का कुल मूल्य ₹0 1,00,000 (₹0 एक लाख) से अधिक न हो।	उपरोक्त निम्नलिखित प्रतिनिधायन इस शर्त के अधीन है कि हानि से इस बात का पता न चलता हो कि— 1. प्रणाली का कोई दोष है जिसमें संशोधन के लिए उच्चतर प्राधिकारी के आदेशों की आवश्यकता हो, अथवा 2. किसी एक विशेष अधिकारी अथवा अधिकारियों की ओर से कोई घोर असावधानी की गई हो जिसके निमित्त सम्भवतः अनुशासनिक कार्यवाही करने के लिए उच्चतर प्राधिकारी के आदेशों की आवश्यकता हो।
		2-मण्डलायुक्त	राजस्व विभाग के सम्बन्ध में— प्रत्येक मद में ₹0 20,000 (₹0 बीस हजार) की सीमा तक, बशर्ते मदों के समूह का कुल मूल्य एक वर्ष में ₹0 50,000 (₹0 पचास हजार) से अधिक न हो।	
		3-विभागाध्यक्ष	प्रत्येक मद में ₹0 20,000 (₹0 बीस हजार) की सीमा तक, बशर्ते मदों के समूह का कुल मूल्य एक वर्ष में ₹0 50,000 (₹0 पचास हजार) से अधिक न हो।	
		4-कार्यालयाध्यक्ष (प्रथम श्रेणी अधिकारी)	प्रत्येक मद में ₹0 2,000 (₹0 दो हजार) तक, किन्तु एक वर्ष में कुल ₹0 10,000 (₹0 दस हजार) की सीमा तक।	
2	किसी भी प्रकार के ऐसे फालतू और निष्प्रयोज्य भण्डार, जो खराब हो गया हो या जिसे विक्रय करना आवश्यक समझा जाए, के विक्रय के फलस्वरूप होने वाली हानि को बट्टे खाते डालना, स्वीकृत करना।	1. प्रशासकीय विभाग	1. प्रत्येक मद में ₹0 20,000 (₹0 बीस हजार) से अधिक तथा ₹0 50,000 (₹0 पचास हजार) से अनधिक की सीमा तक, बशर्ते मदों के समूह का कुल मूल्य ₹0 1,00,000 (₹0 एक लाख) से अधिक न हो। 2. प्रत्येक मद में ₹0 20,000 (₹0 बीस हजार) की सीमा तक, बशर्ते मदों के समूह का कुल मूल्य एक वर्ष में ₹0 50,000 (₹0 पचास हजार) से अधिक न हो। 3. कार्यालयाध्यक्ष	निम्नलिखित शर्तों के अधीन— क) खराब होने अथवा फालतू होने के कारणों का पूर्ण रूप से उल्लेख करते हुए विहित प्रपत्र में एक रिपोर्ट (जोकि मृत पशु-पक्षी के सम्बन्ध में उतनी ही आवश्यक है) स्वीकृति के लिए सम्बन्धित विभागाध्यक्ष को भेजी जाए। ख) प्रश्नगत भण्डार को उस समय तक पुस्तकों से काटा नहीं जाएगा जब तक कि वस्तुतः विक्रय न हो जाए अथवा जीर्ण-शीर्ण हुए या निष्प्रयोज्य उपकरण और औजार लोहे के टुकड़े के रूप में ढूट न जाए।
3.	सूखने और सड़ जाने के कारण आलू के बीजों की हानियां, बट्टे खाते डालना।	कार्यालयाध्यक्ष	कोल्ड स्टोरेज की दशा में 10 प्रतिशत और सैन्ड स्टोरेज की दशा में 25 प्रतिशत की सीमा तक।	

क्र.सं.	अधिकार का प्रकार	किसके द्वारा प्रयोग किया जाएगा	परिसीमायें	अनुचित
1	2	3	4	5
4.	<p>(1) बीज, भूसा खली, उर्वरक दवाईयां, तरल पदार्थ, नमक, साइलेज और चारा आदि के भण्डार जो बजट के अनुदानों से क्रय किये गये, को बट्टे खाते डालने की स्वीकृति प्रदान करना।</p> <p>क) प्राकृतिक कारणों से होने वाली हानि के मामलों में उदाहरणार्थ सुखावट और सफाई तथा</p> <p>ख) असामान्य घटनाओं के कारण उदाहरणार्थ झींगुर, चूहे, दीमक, वर्षा इत्यादि के कारण हानि।</p>	कार्यालयाध्यक्ष	<p>निम्नलिखित मामलों में वार्षिक सीमा तक-</p> <p>क) 1) प्रत्येक प्रकार का रबी बीज भण्डारण के समय कुल माल का एक प्रतिशत</p> <p>2) प्रत्येक प्रकार का खरीफ बीज भण्डारण के समय कुल माल का 3 प्रतिशत।</p> <p>3) भूसा, खली, उर्वरक, दवाईयां, तरल पदार्थ, नमक, साइलेज और चारा-भण्डारण के समय कुल माल का 3 प्रतिशत।</p> <p>4) कपास -</p> <p>क) भण्डारण में रखने के कारण कमी भण्डारी के समय कुल माल का 1 प्रतिशत।</p> <p>ख) औटने से होने वाली कमी-औटी गई कपास की मात्रा का 3 प्रतिशत।</p> <p>ग) पट्टी (लिंट) के सूखने से होने वाली कमी भण्डारण के समय कुल माल का 1 प्रतिशत।</p> <p>ख) सभी प्रकार के रबी व खरीफ फसल के बीज के कुल माल के 1 प्रतिशत की सीमा तक, किन्तु शर्त यह है कि -</p> <p>(क) और (ख) दोनों के सम्बन्ध में उसी भद्र के बारे में उसी वर्ष के लिए बट्टे-खाते डाली गयी कुल धनराशि कुल रबी माल के डेढ़ प्रतिशत और कुल खरीफ माल के साढ़े तीन प्रतिशत से अधिक न हो।</p>	
	<p>(2) ऐसा तरल स्टाक (बीज, भूसा, खली उर्वरक इत्यादि) जो असामान्य घटनाओं जैसे झींगुर, चूहे, दीमक, वर्षा इत्यादि के कारण घटिया हो गया हो और परिणामस्वरूप पूरी कीमत पाने के लिए समर्थ न रहा हो, के कारण हानियां बट्टे-खाते डालना।</p>	कार्यालयाध्यक्ष	<p>एक वर्ष में किसी एक संस्था में संग्रह की गई, भण्डार में रखते समय प्रत्येक किस्त के कुल माल के 10 प्रतिशत की सीमा तक, किन्तु शर्त यह कि इस 10 प्रतिशत का पुस्तक मूल्य 2000 रु० से अधिक न हो (परिणाम और धन सम्बन्धी निर्धारित सीमाएं माल के संदर्भ में दी गयी हैं न कि खराब होने के कारण हुई इस माल की हानि के जो</p>	-

क्र.सं.	अधिकार का प्रकार	किसके द्वारा प्रयोग किया जाएगा	परिसीमाएं	आम्युनित
1	2	3	4	5
			<p>बट्टे-खाते डाला जायेगा)।</p> <p>क) उन्हीं शर्तों के अधीन जो कि ऊपर मद 4(1) में दी गई हैं।</p> <p>ख) गन्ना विकास अधिकारियों के मामले में ऊपर मद-2 के सम्मुख क्र0 संख्या 3 में (क) और (ख) में दी हुई शर्तों के अधीन।</p>	
5.	सरकारी पुस्तकालयों में खोई अथवा नष्ट हुई पुस्तकों को अवसूलनीय हानियों को बट्टे-खाते डालना।	<p>1. विभागाध्यक्ष</p> <p>2. जिला तथा सेशन जज और उप पुलिस महानिरीक्षक</p>	<p>प्रत्येक पुस्तक के संबंध में 1000/- रु0 (एक हजार) के मूल्य तक किन्तु एक वर्ष में कुल रु0 1,00,000 (रु0 एक लाख) अधिकतम सीमा तक।</p>	
6.	राजस्व की हानि (जिनके अंतर्गत न्यायालयों द्वारा डिक्री की गई अवसूलनीय धनराशि भी सम्मिलिनत है) या अवसूलनीय ऋण या अग्रिम धन का बट्टे खाते डालना।	3. प्रशासकीय विभाग	पूर्ण अधिकार	
		1. विभागाध्यक्ष	25,000 रुपये (रु0 पच्चीस हजार) की सीमा तक प्रतिबंध यह है कि प्रशासकीय विभाग को यथानुसार अवगत कराया जाये।	
		2. मण्डलायुक्त	राजस्व विभाग के सम्बन्ध में- 25,000 रुपये (रु0 पच्चीस हजार) की सीमा तक, प्रतिबंध यह है कि प्रशासकीय विभाग को यथानुसार अवगत कराया जाय।	
7.	ऐसे मामलों में जिनमें राजस्व प्राधिकारियों द्वारा अथवा प्रतिभू (जामिन) से वसूली व्यावहारिक न हो, राजकीय बीज भण्डारों और कृषि क्षेत्रों के वसूल न होने योग्य देय धनराशियां (ब्याज सहित) बट्टे-खाते डालना।	3. प्रशासकीय विभाग	रु0 1,00,000 (रु0 एक लाख) की सीमा तक।	
		वित्त विभाग की सहमति से	रु0 1,00,000 (रु0 एक लाख) से 5,00,000 लाख रुपये (पाँच लाख) की सीमा तक।	
8.	टूट-फूट, दुर्घटनाओं आदि के कारण बीज तथा उपकरणों की हानियों को बट्टे-खाते डालने हेतु स्वीकृति प्रदान करना।	1. विभागाध्यक्ष	1. एक मामले में 2000 रु0 (रु0 दो हजार) तक और एक वर्ष में 20,000 रु0 तक।	
		2. कार्यालयाध्यक्ष	2. एक मामले में 1000 रु0 (रु0 एक हजार) तक और एक वर्ष में 10,000 रु0 (रु0 दस हजार) तक।	
		1-विभागाध्यक्ष	एक मामले में 2000 रु0 (रु0 दो हजार) तक और एक वर्ष में 10,000 रु0 (रु0 दस हजार) तक।	
		2-कार्यालयाध्यक्ष	एक मामले में 1000 रु0 (रु0 एक हजार) तक और एक वर्ष	

क्र.सं.	अधिकार का प्रकार	किसके द्वारा प्रयोग किया जाएगा	परिसीमायें	अन्युक्ति
1	2	3	4	5
9.	दुर्घटनाओं, असावधानी या अन्य कारणों से खोये या नष्ट या क्षतिग्रस्त हुए भण्डारों एवं अन्य सम्पत्ति के वसूल न हो सकने वाले मूल्य या खोये सरकारी धन की वसूल न हो सकने वाली धनराशियों को बट्टे-खाते डालना।	<p>1. कार्यालयाध्यक्ष</p> <p>2. विभागाध्यक्ष</p> <p>3. मण्डलायुक्त</p> <p>4. प्रशासकीय विभाग</p> <p>5. मंत्रि परिषद</p>	<p>में 5,000 रु० (रु० पाँच हजार) तक।</p> <p>प्रत्येक मामले में 20,000 रुपये (रु० बीस हजार) तक बशर्ते एक वर्ष में रु० 4,00,000 (रु० चार लाख) से अधिक की हानियां बट्टे-खाते में न डाली जाये।</p> <p>प्रत्येक मद में रु० 2,00,000 (रु० दो लाख) की सीमा तक, किन्तु एक वर्ष में कुल रु० 10,00,000 (रु० दस लाख) की अधिकतम सीमा तक।</p> <p>राजस्व विभाग के सम्बन्ध में— प्रत्येक मद में रु० 2,00,000 (रु० दो लाख) की सीमा तक, किन्तु एक वर्ष में कुल रु० 10,00,000 (रु० दस लाख) की अधिकतम सीमा तक।</p> <p>प्रत्येक मद में रु० 2,00,000 (रु० दो लाख) से अधिक तथा रु० 25,00,000 (रु० पच्चीस लाख) से अनधिक की सीमा तक, बशर्ते मदों के समूह का कुल रु० 1.00 करोड़ (एक करोड़) से अधिक न हो।</p> <p>उपरोक्त क्रमांक-4 से अधिक के प्रकरण।</p>	<p>उपरोक्त प्रतिनिधायन इस शर्त के अधीन है कि हानि से इस बात का पता न चलता हो कि—</p> <p>(1) प्रणाली का कोई दोष है जिसमें संशोधन के लिए उच्चतर प्राधिकारी के आदेशों की आवश्यकता हो अथवा</p> <p>(2) किसी एक विशेष अधिकारी अथवा अधिकारियों की ओर से कोई घोर असावधानी की गयी है, जिसके निमित्त सम्भवतः अनुशासनिक कार्यवाही करने के लिए उच्चतर प्राधिकारी के आदेशों की आवश्यकता हो।</p>
10.	राजकीय अस्पतालों के बीमारों से वसूल न होने योग्य देय धनराशियां बट्टे-खाते डालना (यह प्रतिनिधायन बीमारों से देय उन धनराशियों पर लागू नहीं होता है जो अस्पताल के कर्मचारी वर्ग को देय हैं)।	महानिदेशक, विकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवायें	2000 रु० (रु० दो हजार) की सीमा तक बशर्ते एक वर्ष में 20000 रु० (रु० बीस हजार) से अधिक न हो।	—
11.	स्टाक में अन्तर्विष्ट भण्डारित सामग्री के मूल्य में और अन्य लेखाओं में कमियों और ह्रास (वाहन के अतिरिक्त) के मामलों के बट्टे-खाते डालना।	<p>1. विभागाध्यक्ष</p> <p>2. मण्डलायुक्त</p>	<p>25,000 रुपये (रु० पच्चीस हजार) तक।</p> <p>राजस्व विभाग के सम्बन्ध में— 25,000 रुपये (रु० पच्चीस हजार) से अधिक एवं 1,00,000 रुपये (रु० एक लाख) की सीमा तक।</p>	—

क्र.सं.	अधिकार का प्रकार	किसके द्वारा प्रयोग किया जाएगा	परिसीमाएँ	अस्थुवित
1	2	3	4	5
		3. प्रशासकीय विभाग	वित्त विभाग की सहमति से – 1,00,000 रुपये (रु० एक लाख) से 10.00 लाख (रु० दस लाख) की सीमा तक।	
12.	प्रदेश के अंदर रेल से भेजे गये खाद्यानों के प्रेषणों (कन्साइनमेन्ट्स) में प्राकृतिक कारणों से मजबूत (बगैर कटे-फटे) बौरियों में पायी गयी मार्गित हानियां (जिनका रेलवे से दावा न किया जा सकता हो) को बट्टे-खाते डालने की स्वीकृति देना।	संभागीय नियंत्रक	खाद्य	0.25 प्रतिशत तक, किन्तु शर्त यह है कि हानियां किसी संबंधित सरकारी कर्मचारी की असावधानी के कारण न हुई हो और यह कि संभागीय वित्त अधिकारी उन हानियों को बट्टे-खाते डालने के लिए सहमत हों।
13.	खाद्यानों के संग्रहण में लगभग 6 माह की अवधि के दौरान प्राकृतिक कारणों से घटित हानि बशर्ते कि हानि किसी सरकारी कर्मचारी की लापरवाही, प्रक्रिया या संग्रह प्रबन्धन में दोष के कारण न हुई हो को बट्टे-खाते डालने की स्वीकृति देना।	संभागीय नियंत्रक	खाद्य	0.50 प्रतिशत, किन्तु रु० 10 हजार की सीमा तक।
		खाद्य आयुक्त	2.00 प्रतिशत, किन्तु रु० 50 हजार की सीमा तक।	इस प्रतिबंध के अधीन कि वित्त नियंत्रक हानि को बट्टे खाते में डालने को सहमत हो। —हानियों का एक मासिक विवरण जिसमें घटित हानि की मात्रा एवं मूल्य तथा कुल मात्रा एवं मूल्य जिसमें से कमी पाई गई हो, के साथ ही उन परिस्थितियों का उल्लेख भी किया जायेगा जिसके कारण बट्टे खाते में डालना आवश्यक हो गया है खाद्य आयुक्त को भेजा जायेगा।
14.	क) रसायनिक उर्वरकों, उनके मिश्रण तथा कीट एवं रोगनाशक रसायनों तथा उनके मिश्रणों की मार्गित हानि का बट्टे-खाते डालने की स्वीकृति प्रदान करना।	1-विभागाध्यक्ष	1- प्रत्येक प्रेषण (कन्साइनमेंट) में 3 प्रतिशत या 10,000 रु० (दस हजार) तक जो भी कम हो।	—उक्त प्रतिनिधायन इस प्रतिबंध के साथ है कि हानि किसी से बसूल न की जा सकती हो और उसका दावा उद्धित कारणों से रेलवे तथा प्रेषक द्वारा अस्वीकृत किया जा चुका हो।

क्र.सं.	अधिकार का प्रकार	किसके द्वारा प्रयोग किया जाएगा	परिसीमाये	अन्युकृति
1	2	3	4	5
		2— कार्यालयाध्यक्ष	2— प्रत्येक प्रेषण (कन्साइनमेंट) में 3 प्रतिशत या 2,000 रु० (दो हजार) तक जो भी कम हो।	—
	ख) रसायनिक उर्वरक, उनके मिश्रण तथा कीट एवं रोगनाशक रसायनों तथा उनके मिश्रणों की संग्रह हानि को बटटे-खाते में डालने की स्वीकृति प्रदान करना।	1—विभागाध्यक्ष	1. प्रत्येक मामले में 3 प्रतिशत या 10,000 रु० (दस हजार) तक जो भी कम हो।	—उक्त प्रतिनिधायन इस प्रतिबंध के साथ है कि संग्रह की अवधि छः माह से कम न हो।
		2— कार्यालयाध्यक्ष	2. प्रत्येक मामले में 3 प्रतिशत या 2,000 रु० (दो हजार) तक जो भी कम हो।	—

/ /

विवरण पत्र-8
विविध वित्तीय अधिकार

क्र.सं.	अधिकार का प्रकार	किसके द्वारा प्रयोग किया जाएगा	परिसीमायें	अन्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	अपने अधीनस्थ कार्यालयों के लिए आहरण एवं वितरण अधिकारी घोषित करना।	वित्त विभाग	निम्नलिखित शर्तों के अधीन पूर्ण अधिकार – 1. सम्बन्धित अधिकारी अपने कार्यालय, जो कि एक स्वतंत्र इकाई के रूप में हो, का सर्वोच्च राजपत्रित अधिकारी हो और लेखा-प्रक्रिया तथा वित्तीय नियमों से भली-भांति परिचित हो।	यदि कोई आहरण एवं वितरण, अधिकारी उपार्जित अवकाश पर चला जाता है, या उसका स्थानान्तरण हो जाता है या अन्य किसी कारण से अल्प समय के लिए वह पद रिक्त हो जाता तो और उस पद के लिए कोई स्थायी या स्थानापन्न प्रबन्ध नहीं किया जाता है, तो सक्षम अधिकारी उस रिक्त पद पर जिस किसी राजपत्रित अधिकारी को अपने कर्तव्यों के अतिरिक्त कार्य करने के लिए नियुक्त करता है, वह अधिकारी उस कार्यालय के सम्बन्ध में अन्य प्रशासनिक कार्यों के लिए अधिकृत होने के साथ-साथ आहरण एवं वितरण अधिकारी भी विधिवत घोषित माना जायेगा।
2.	किसी अधिकारी को मूल नियमों, सहायक नियमों तथा लेखा नियमों हेतु विभागाध्यक्ष घोषित करना।	प्रशासकीय विभाग	वित्त विभाग का अनुमोदन प्राप्त करके।	अधिकारी एक पृथक संगठन का सर्वोच्च अधिकारी होना चाहिए जिसका वेतनमान सातवें वेतनमान के क्रम में स्तर-13 से कम न हो। कार्मिक विभाग के परामर्श से आदेश निर्गत किये जायेंगे।
3.	किसी अधिकारी को जिले में कार्यालयाध्यक्ष घोषित करना।	प्रशासकीय विभाग	कार्मिक विभाग के परामर्श से पूर्ण अधिकार	—
4.	अधीनस्थ अधिकारियों को वित्तीय अधिकार पुनः प्रतिनिहित करना।	प्रशासकीय विभाग	प्रशासकीय विभाग, सब मामलों में, अपने विभाग में निहित अधिकारों की सीमा तक किसी अधीनस्थ अधिकारी को अधिकार पुनः प्रतिनिहित कर सकते हैं, निम्नलिखित को छोड़कर :– 1. पदों का सृजन 2. हानियों को बट्टे-खाते डालना	—
5.	अतिरिक्त विभागाध्यक्ष को विभागाध्यक्ष के समस्त अथवा कर्तिपय वित्तीय अधिकार पूर्ण या आंशिक रूप से प्रतिनिहित करना।	प्रशासकीय विभाग	निम्नलिखित शर्तों के अधीन – 1. विभागाध्यक्ष की संस्तुति हो। 2. अतिरिक्त विभागाध्यक्ष श्रेणी-1 से कम स्तर का अधिकारी न हो। 3. वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर ली गयी हो।	उपरोक्त के अंतर्गत विभागाध्यक्ष के अधिकार का प्रतिनिधायन संयुक्त/ उप विभागाध्यक्ष को करने की अनुमति नहीं है।

क्र.सं.	अधिकार का प्रकार	किसके द्वारा प्रयोग किया जाएगा	परिसीमायें	अन्युकृति
1	2	3	4	5
6.	उन अस्थायी पदों के स्थायीकरण के आदेश प्रसारित करना जिनके स्थायीकरण का प्रस्ताव वित्त विभाग की सहमति से नई मांगों की अनुसूची द्वारा आय-व्ययक में विधान मण्डल द्वारा स्वीकार कर लिया गया हो।	विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष	<p>उन पदों के सम्बन्ध में जिनके वे नियुक्ति प्राधिकारी हैं, पूर्ण अधिकार, किन्तु शर्त यह है कि -</p> <ol style="list-style-type: none"> स्थायीकरण के आदेशों में उन सब शासनादेशों की संख्या व तारीख दी जायेगी जिसमें सर्वप्रथम शासन द्वारा पद के सृजन की स्वीकृति वित्त विभाग की अनुमति से दी गयी थी और समय-समय पर गत वर्ष के मार्च 31 तक पद का प्रसार हुआ था। उक्त आदेशों में पद का शासन द्वारा स्वीकृत वेतनक्रम पूर्णरूपेण अंकित होगा। यदि पद सृजन के समय किसी पद को आस्थगित रखा गया था तो उसे वित्त विभाग की पूर्व सहमति लिये बिना पुनर्जीवित नहीं किया जायेगा। 	-

7.	कालबाधित बकाया वेतन, भत्ते, एवं अन्य प्रकार के दावों की पूर्व लेखा परीक्षा द्वारा जांच स्वीकृत करना।	1. प्रशासकीय विभाग	पूर्ण अधिकार।	वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड-5, भाग-1 के पैरा-74 (बी) में उल्लिखित शर्तों के अधीन।
		2. विभागाध्यक्ष	पूर्ण अधिकार। (वित्त सेवा/लेखा सेवा के अधिकारियों से पूर्व लेखा परीक्षा करके स्वीकृत करना।)	

सहायक अनुदान				
1.	सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए सहायक अनुदान स्वीकृत करना।	शासन का शिक्षा विभाग	पूर्ण अधिकार	शिक्षा सहिता में दिए हुए नियमों के अनुसार
2.	जूनियर हाई स्कूलों/हाई स्कूलों/इण्टरमीडिएट कालेजों के भवन फर्नीचर और सज्जा के रख-रखाव के लिए सामान्य निर्दिष्ट धनराशि में से अनावर्तक अनुदान स्वीकृत करना।	सम्बन्धित विभागाध्यक्ष	पूर्ण अधिकार	-
	जूनियर हाई स्कूलों को अनुसंधान अनुदान स्वीकृत करना।	सम्बन्धित विभागाध्यक्ष	पूर्ण अधिकार	-

क्र.सं.	अधिकार का प्रकार	किसके द्वारा प्रयोग किया जाएगा	परिसीमाये	अन्युकृति
1	2	3	4	5
3.	ऐसे प्रसिद्ध विद्वान व्यक्तियों को, जो दरिद्रावस्था में हो, आर्थिक सहायता प्रदान करने की भारत सरकार की योजना के अधीन, नियमों के अनुसार अनुदान स्वीकृत करना।	शिक्षा विभाग	पूर्ण अधिकार	
4.	ऐसे व्यक्तियों की यात्रा अनुदान स्वीकृत करना जो विदेशों में होने वाले अन्तर्राष्ट्रीय कांग्रेस, कांफेन्स, सेमिनार और सिप्पोजियम में भाग लेने के लिए आमन्त्रित किये गये हैं।	प्रशासकीय विभाग	पूर्ण अधिकार	किन्तु शर्त यह है कि स्वीकृति इस सम्बन्ध में बनाये गये नियमों के अनुसार प्रदान की जाये।
5.	सड़क निर्माण कार्यों से सम्बन्धित अनुदान स्वीकृत करना।	प्रशासकीय विभाग	पूर्ण अधिकार	इस प्रतिबन्ध के साथ कि इन अनुदानों की स्वीकृति और इनका उपयोग सड़क निर्माण कार्यों से सम्बन्धित नियमों के अनुसार किया जायेगा।
अग्रिम धनराशियों				
1	2	3	4	5
1.	स्थायी अग्रिम (Permanent Imprest)	1-प्रशासकीय विभाग	पूर्ण अधिकार	वित्तीय हस्त पुस्तिका-खण्ड-5 भाग-1 के अध्याय-3 के पैरा 67 के अधीन।
2.	भवन निर्माण/ पुनर्निर्माण/ क्रय/ मरम्मत के लिए सरकारी सेवकों को अग्रिम	1-प्रशासकीय विभाग	अनुमन्य सीमा तक पूर्ण अधिकार	वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग 1 के अध्याय-11 के पैरा 244 के अधीन शासनादेश संख्या 537 /विवाह-1/2004 दिनांक 16 जुलाई, 2004 एवं समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश की शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन।
		2-विभागाध्यक्ष	1. अनुमन्य सीमा तक 2. अधीनस्थ श्रेणी-2 एवं मुख्यालय में तैनात श्रेणी-2 तक के कार्मिकों के सम्बन्ध में वित्त अधिकारी/वित्त नियंत्रक की संस्तुति पर।	
3.	मोटर कार/मोटर साईकिल/ स्कूटर क्रय करने के लिए सरकारी सेवकों को अग्रिम	3-कार्यालयाध्यक्ष	अनुमन्य सीमा तक अपने अधीनस्थ कार्मिकों के सम्बन्ध में।	शासनादेश संख्या 538 /विवाह-1/2004 दिनांक 16 जुलाई, 2004 एवं समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश की शर्तों के अधीन
		1-प्रशासकीय विभाग	अनुमन्य सीमा तक	
		2-विभागाध्यक्ष	अनुमन्य सीमा तक अधीनस्थ श्रेणी-2 तक के कार्मिकों के सम्बन्ध में वित्त अधिकारी/वित्त नियंत्रक की संस्तुति पर।	
4.	कम्यूटर एवं सहवर्ती उपकरणों के क्रय हेतु सरकारी सेवकों को	3-कार्यालयाध्यक्ष	अनुमन्य सीमा तक अपने अधीनस्थ कार्मिकों के सम्बन्ध में।	
		1-प्रशासकीय विभाग	अनुमन्य सीमा तक	वित्त अनु-1 का शासनादेश सं 538ए/विवाह-1/2004 दिनांक 16

क्र.सं.	अधिकार का प्रकार	किसके द्वारा प्रयोग किया जाएगा	परिसीमायें	अस्थिरता
1	2	3	4	5
	अग्रिम	2-विभागाध्यक्ष 3-कार्यालयाध्यक्ष	अनुमन्य सीमा तक अधीनस्थ कार्मिकों के सम्बन्ध में वित्त अधिकारी/वित्त नियंत्रक की संस्तुति पर। अनुमन्य सीमा तक अपने अधीनस्थ कार्मिकों के सम्बन्ध में।	जुलाई, 2004 एवं समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश की शर्तों के अधीन।
5.	स्वयं अथवा अधीनस्थ सरकारी सेवक को, स्थानान्तरण अथवा उच्च शिक्षा/प्रशिक्षण पर जाने हेतु अग्रिम वेतन स्वीकृत करना।	1-प्रशासकीय विभाग 2-विभागाध्यक्ष 3-कार्यालयाध्यक्ष	एक माह के मूल वेतन की सीमा में पूर्ण अधिकार	एक माह के मूल वेतन की सीमा में।
6.	अपने स्वयं के दौरे अथवा अधीनस्थ अराजपत्रित/राजपत्रित सरकारी सेवकों के स्थानान्तरण अथवा उच्च शिक्षा/प्रशिक्षण/ दौरे/ एलटीसी के लिए यात्रा भत्ता अग्रिम स्वीकृत करना।	1-प्रशासकीय विभाग 2-विभागाध्यक्ष 3-कार्यालयाध्यक्ष	पूर्ण अधिकार	-
7.	कानूनी कार्यवाही हेतु अग्रिम स्वीकृत करना।	1-प्रशासकीय विभाग 2-विभागाध्यक्ष 3-कार्यालयाध्यक्ष	पूर्ण अधिकार	बजट की उपलब्धता एवं मानक के अधीन।
8.	चिकित्सा प्रतिपूर्ति अग्रिम।	1-प्रशासकीय विभाग 2-विभागाध्यक्ष 3-कार्यालयाध्यक्ष	पूर्ण अधिकार रु0 5,00,000 (रु0 पाँच लाख) तक रु0 1,50,000 (रु0 एक लाख पचास हजार) तक	चिकित्सा विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित मानक एवं प्रक्रिया अनुसार 75% की सीमा तक।
9.	सामान्य कार्यालय व्यय।	1-प्रशासकीय विभाग 2-विभागाध्यक्ष 3-कार्यालयाध्यक्ष	पूर्ण अधिकार	उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के अनुसार होगी।
10.	निम्नलिखित के लिए अग्रिम स्वीकृत करना— (1) किसी आबकारी मामले का पता लगाने के सम्बन्ध में होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए (2) कानूनी वादों के लिए (3) आवश्यक आकस्मिक व्यय पूरा करने के लिए तथा किसी आपातकालीन दशा में अथवा	(1) जिलाधिकारी (2) कार्यालयाध्यक्ष (3) पुलिस महानिरीक्षक	पूर्ण अधिकार पूर्ण अधिकार पूर्ण अधिकार	(1) 249 (आई) (2) 249 (ई), इस और शर्त के अधीन कि दावा रिट दायर/विरोध करने की स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त की गयी हो। (3) 249 ए(2) प्रत्येक मामले में 1,000 रु0 तक अथवा यथाआवश्यक शासन द्वारा निर्गत

क्र.सं.	अधिकार का प्रकार	किसके द्वारा प्रशेष किया जाएगा	परिसीमायें	अभ्युक्ति	
1	2	3	4	5	
1.	<p>जब मेलों और तमाशों में पुलिस के बड़े दल नियुक्त किये जाते हैं अथवा जब वे डैकती गश्त पर बाहर भेजे जाते हैं, अराजपत्रित पुलिस अधिकारियों तथा पुलिस के सिपाहियों का यात्रा व्यय पूरा करने के लिए।</p> <p>(4) स्पेशल पुलिस फोर्स के संचालन से सम्बन्धित सम्भावित व्यय की पूर्ति के लिए।</p> <p>(5) कास्टेबिलों के पदों के लिए नियुक्त कार्मिकों के वेतन के लिए।</p> <p>(6) आपातकालीन मामलों में जैसे साम्प्रदायिक दंगा या अन्य शान्ति भग प्रकरण अथवा डकौतियों या अन्य आपातिक स्थितियों में, अपने कार्य क्षेत्र के बाहर के स्थानों पर ड्यूटी लगाये गये अराजपत्रित पुलिस अधिकारियों तथा पुलिस के सिपाहियों से सम्बन्धित आकस्मिक व्यय तथा उनके यात्रा भत्ता व्यय की पूर्ति हेतु।</p> <p>(7) आपातिक मामलों में पी०ए०सी० के अराजपत्रित अधिकारियों तथा सिपाहियों के यात्रा भत्तों और अत्यन्त आवश्यक आकस्मिक व्यय के लिए।</p> <p>(8) आपातिक मामलों में उनके कार्यक्षेत्र में तैनात की गयी दूसरी बटैलियन की कम्पनी या दस्ते के यात्रा भत्ते आदि के व्ययों के लिए।</p>	<p>(4) पुलिस महानिरीक्षक</p> <p>(5) पुलिस अधीक्षक</p> <p>(6) पुलिस अधीक्षक</p> <p>(7) कमान्डेंट, पी०ए०सी०</p> <p>(8) पी०ए०सी०</p>	<p>पूर्ण अधिकार</p> <p>पूर्ण अधिकार</p> <p>पूर्ण अधिकार</p> <p>पूर्ण अधिकार</p> <p>पूर्ण अधिकार</p>	<p>संशोधित धनराशि।</p>	
11.	छोटे निर्माण कार्यों (पेटीवर्क्स) के सम्बन्ध में ठेकेदारों अथवा संवितरकों (डिसबर्स) को अग्रिम स्वीकृत करना।	कार्यालयाध्यक्ष	पूर्ण अधिकार	वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड-5, भाग-1 के अध्याय 13 के पैरा 312 में दी हुई शर्तों/सीमाओं के अधीन अथवा यथाआवश्यक शासन द्वारा निर्गत संशोधित धनराशि।	
12.	स्थायी/अस्थायी अधिष्ठान के सदस्यों को उचन्त (इन्प्रेस्ट) स्वीकृत करना।	अधिशासी अभियन्ता, निर्माण सिंचाई/लघु सिंचाई	लोक विभाग, विभाग,	पूर्ण अधिकार	विभागीय निर्माण के सम्बन्ध में 10,000 रु० (दस हजार) तक तथा अन्य मामलों में उस सीमा तक जो आवश्यक समझी जाए किन्तु अधिकतम रु० 2,000 (दो हजार)

क्र.सं.	अधिकार का प्रकार	किसके द्वारा प्रयोग किया जाएगा	परिसीमाएँ	अस्थुकिति
1	2	3	4	5
		तथा ग्रामीण निर्माण विभाग		तक और वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड-6 के पैरा-166 और 168 में दी हुई शर्तों के अधीन अथवा यथाआवश्यक शासन द्वारा निर्गत संशोधित धनराशि।
13.	मेलों, प्रदर्शनियों, महामारियों तथा अन्य आपातिक स्थितियों से सम्बन्धित व्यय को पूरा करने के लिए अरथाइ अग्रिम धनराशियाँ स्वीकृत करना।	महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण।	पूर्ण अधिकार	प्रत्येक मामले में 20,000 रु० (बीस हजार) तक।
14.	राज्य अतिथियों के आगमन के सम्बन्ध में अपेक्षित व्यय करने हेतु विशेष अग्रिम स्वीकृत करना।	सम्बन्धित जिलाधिकारी	पूर्ण अधिकार	किसी एक अवसर पर 5000 रु० (पांच हजार) की अधिकतम सीमा तक।

